भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	3
संग्रह की लागत	1.3	3
कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4	3
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.5	4
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.6	5
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.7	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती सारांश	1.8	6
पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.9	6
अध्याय–2 : व्यापार कर विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	7
व्यापार कर विभाग में कर का अपवंचन	2.2	8
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.3	11
नई औद्यौगिक इकाइयों को गलत कर मुक्ति का प्रदान किया जाना	2.4	14
केन्द्रीय बिक्री कर का अनियमित आस्थगन	2.5	16
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण	2.6	17
अनियमित घोषणापत्रों की स्वीकृति	2.7	18
ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	2.8	19
कय कर का अनारोपण	2.9	20
गलत दर से कर लगाये जाने के कारण कम करारोपण	2.10	20
केन्द्रीय बिकीकर का कम आरोपण	2.11	21
घोषणा पत्रों का दुरूपयोग	2.12	21
अनियमित कर मुक्ति	2.13	22
अध्याय–3 : राज्य आबकारी प्राप्तियाँ तथा माल एवं यात्री वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	23
राज्य आबकारी		
शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	3.2	24
देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की क्षति	3.3	24
माल एवं यात्री वाहनों पर कर		
बिना परमिट के संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर का न/कम वसूल किया जाना	3.4	25
अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण के कारण राजस्व क्षति	3.5	26

अध्याय–4 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	27
भू–राजस्व		
सरकारी भूमि का आबंटन/अनधिकृत कब्जा	4.2	28
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	4.3	36
विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	4.4	37
पट्टा अवधि की गलत संगणना के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	4.5	38
बाट एवं माप		
अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से राजस्व क्षति	4.6	38
अध्याय– 5 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	41
सिंचाई विभाग		
सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण	5.2	**42**
श्रम विभाग		
प्रतिपूरक भवन किराये की वसूली न किया जाना	5.3	52
लोक निर्माण विभाग		
अनधिकृत अध्यासियों से किराये के बदले में प्रतिकर का वसूल न किया जाना	5.4	52

प्राक्कथन

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2006–07 तथा पूर्ववर्ती वर्षो में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 24 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/कम आरोपण आदि से संबंधित 92.18 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित है:

I. सामान्य

- वर्ष 2005–06 के 45,349.15 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2006–07 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियॉं 60,599.52 करोड़ रूपये थीं। कर राजस्व 22,997.97 करोड़ रूपये तथा करेतर राजस्व 6,532.64 करोड़ रुपये को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व 29,530.61 करोड़ रूपये था। भारत सरकार से प्राप्तियॉं 31,068.91 करोड़ रूपये (विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग 23,218.31 करोड़ रूपये और सहायक अनुदान 7,850.60 करोड़ रूपये) थीं। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी। वर्ष 2006–07 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (13,278.82 करोड़ रूपये) तथा विविधि सामान्य सेवाओं पर (2,281.23 करोड़ रूपये) क्रमशः कर एवं करेतर राजस्व का मुख्य साधन थे।

  (प्रस्तर 1.1)

- राजस्व के मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत 31 मार्च 2007 को, जैसा कि सम्बन्धित विभागों ने सूचित किया है, राजस्व के बकाये 15,021.59 करोड़ रूपये थे।

  (प्रस्तर 1.5)

- वर्ष 2006–07 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच में 405.08 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2370 मामलों का पता चला। वर्ष 2006–07 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 56.23 लाख रुपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 41 मामले स्वीकार किये, जिसमें से 19.58 लाख रुपये मार्च 2007 तक वसूल किये गये।

  (प्रस्तर 1.6)

- 4,782.48 करोड़ रुपये की धनराशि के 31 दिसम्बर 2006 तक निर्गत 9,524 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 21,445 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे जून 2007 तक लम्बित थे।

  (प्रस्तर 1.7)

II. व्यापार कर

- 37 व्यापारियों के द्वारा आवर्त को छिपाये जाने/मिथ्या घोषणा/माल के हस्तान्तरण पर अनियमित कर मुक्ति के परिणामस्वरूप 6.24 करोड़ रुपये का करापवंचन।

  (प्रस्तर 2.2)

- पंजीयन प्रमाणपत्र से अनाच्छादित फार्म 'सी' में घोषणा के विरूद्ध कय हेतु 43 व्यापारी 3.62 करोड़ रुपये की धनराशि के अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

  (प्रस्तर 2.3)

III. राज्य आबकारी प्राप्तियाँ तथा माल एवं यात्री वाहनों पर कर

- शीरे से अल्कोहल के मानक से कम उत्पादन के कारण 4.63 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति।

  (प्रस्तर 3.2)

- सात सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में 332 मंजिली गाड़ियों के निर्धारित मार्गों पर बिना परमिट नवीनीकरण के संचालित होने के फलस्वरूप 3.94 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर कम वसूल किया गया / नहीं वसूल किया गया ।

  (प्रस्तर 3.4)

- अतिरिक्त कर की गलत दर लगाये जाने से 2.17 करोड़ रुपये कर का कम आरोपण।

  (प्रस्तर 3.5)

IV. अन्य कर प्राप्तियाँ

"सरकारी भूमि का आवंटन / अनधिकृत कब्जा" की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- राजकीय आस्थान की भूमि का विक्रय/नीलामी द्वारा निस्तारण हेतु पद्धति/प्रक्रिया के अभाव में भूमि की कीमत के रूप में 433.24 करोड़ रुपये राजस्व क्षति।

  (प्रस्तर 4.2.6.1)

- स्वीकार किये गये पट्टा की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के अभाव में सरकार को 142.18 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क 14.22 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा।

  (प्रस्तर 4.2.6.2)

- नजूल भूमि के निस्तारण हेतु समयबद्ध योजना के अभाव में विक्रय द्वारा निस्तारण नहीं हुआ। नजूल भूमि के स्वीकृत पट्टों की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के रख–रखाव के अभाव में पट्टा समाप्ति के पश्चात् वापस नहीं लिया गया । राजस्व क्षति 2074.72 करोड़ रुपये रही।

  (प्रस्तर 4.2.6.3)

- नजूल/राजकीय आस्थान की भूमि के अनधिकृत कब्जों को विनियमितीकरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा के अभाव में सरकार को 1763.64 करोड़ रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

  (प्रस्तर 4.2.7)

- विकास प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग की गयी सीलिंग भूमि की कीमत भुगतान न किये जाने से सरकार को 251.91 करोड़ रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

  (प्रस्तर 4.2.9.3)

- भूमि के अवमूल्यन के फलस्वरूप भूमि की कीमत 25.56 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क 2.04 करोड़ रुपये कम आरोपित किया गया।

  (प्रस्तर 4.2.10.1)

- बाट एवं माप विभाग में उपयोक्ताओं के द्वारा पंजीयन/नवीनीकरण न कराये जाने के कारण शासन को 81.83 लाख रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

  (प्रस्तर 4.6.1)

V. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

"सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण" की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- सृजित सिंचाई क्षमता की अनुश्रवण की कमी के कारण सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया और परिणामस्वरूप वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 62.94 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

  (प्रस्तर 5.2.7)

- सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी से प्राप्तियों की अनुश्रवण व्यवस्था में कमी के कारण 3.12 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

  (प्रस्तर 5.2.8)

- वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु दिये जाने वाले पानी की मात्रा को मापने की कोई निर्धारित व्यवस्था न होने के कारण 18.78 करोड़ रुपये के जल मूल्य का कम आरोपण हुआ।

  (प्रस्तर 5.2.9)

- जमा निर्माण कार्य पर प्रतिशतता प्रभार न लगाये जाने से 1.18 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई।

  (प्रस्तर 5.2.14)

अध्याय–1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
	• कर राजस्व	12,783.81	13,601.23	15,692.61	18,857.90	22,997.97
	• करेतर राजस्व	1,913.49	2,282.08	2,720.29	2,930.32	6,532.64
	योग	**14,697.30**	**15,883.31**	**18,412.90**	**21,788.22**	**29,530.61**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग	10,814.87	13,272.97	15,055.26	18,203.13	23,218.31[1]
	• सहायक अनुदान	2,309.02	2481.69	4,149.28	5,357.80	7,850.60
	योग	**13,123.89**	**15,754.66**	**19,204.54**	**23,560.93**	**31,068.91**
III.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	**27,821.19**	**31,637.97**	**37, 617.44**	**45,349.15**	**60,599.52**
IV.	I से III की प्रतिशतता	***53***	***50***	***49***	***48***	***49***

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2006–07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (60,599.52 करोड़ रुपये) का, विगत वर्ष के 48 प्रतिशत के विरूद्ध, 49 प्रतिशत था। 2006–07 की प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

---

1 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखा में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक कर राजस्व के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021– आय और व्यय पर अन्य कर 0028–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क 0044–सेवा कर, एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1.1.2 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006–07 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2005–06 के सन्दर्भ में 2006-07 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2005–06 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	व्यापार कर	6,850.93	7,684.13	8.888.31	11,284.67	13,278.82	(+) 1,994.15	(+) 17.67
2.	राज्य आबकारी	2,555.05	2,472.37	2,686.19	3,088.54	3,551.25	(+)462.71	(+)14.98
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,078.68	2,296.06	2,682.36	2,996.78	4,513.67	(+) 1,516.89	(+) 50.62
4.	वाहनों पर कर	618.84	676.96	775.84	965.20	1,017.60	(+) 52.40	(+) 5.43
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	145.29	174.72	354.36	182.26	193.92	(+) 11.66	(+) 6.40
6.	भू–राजस्व	64.23	117.67	102.44	108.69	187.52	(+) 78.83	(+) 72.53
7.	वस्तुओ और सेवाओ पर अन्य कर एवं शुल्क	100.02	92.78	112.28	114.76	131.57	(+) 16.81	(+) 14.65
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	77.33	80.21	81.74	105.19	108.70	(+)3.51	(+) 3.34
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	3.70	6.33	9.09	11.81	14.92	(+) 3.11	(+) 26.33
	योग	**12,783.81**	**13,601.23**	**15,692.61**	**18857.90**	**22,997.97**	**4140.07**	**21.95**

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (सितम्बर 2007) के बाद भी सूचित नही किया (अक्टूबर 2007) ।

1.1.3 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2005–06 के सन्दर्भ में 2006–07 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2005–06 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	विविध सामान्य सेवाएँ	48.28	41.80	58.02	75.02	2,281.23	(+) 2,206.21	(+) 2,940.83
2	ब्याज प्राप्तियाँ	515.38	658.09	597.93	457.94	828.86	(+) 370.92	(+) 81.00
3	वानिकी एवं वन्य जीव	86.27	60.96	107.42	161.98	212.37	(+) 50.39	(+) 31.11
4	वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	90.12	136.10	176.60	53.78	143.29	(+) 89.51	(+) 166.44
5	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	255.35	227.68	581.02	934.81	814.96	(-) 119.85	(-) 12.82
6	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	110.95	116.91	128.23	99.96	99.71	(-) 0.25	(-) 0.25
7	अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	262.54	251.05	292.01	354.60	345.34	(-) 9.26	(-) 2.61
8	पुलिस	95.40	75.91	97.58	96.66	209.60	(+) 112.94	(+) 116.84
9	क्रॉप हस्बेन्ड्री	25.58	188.73	18.60	40.84	33.96	(-) 6.88	(-) 16.85
10	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.59	33.65	17.25	14.23	15.77	(+) 1.54	(+) 10.82
11	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	41.44	42.69	42.03	39.75	62.67	(+) 22.92	(+) 57.66
12	लघु सिंचाई	12.11	18.53	12.53	21.21	33.02	(+) 11.81	(+) 55.68
13	सड़क एवं सेतु	17.97	41.79	31.67	55.36	58.83	(+) 3.47	(+) 6.27
14	लोक निर्माण	25.26	19.92	31.44	36.09	26.59	(-) 9.50	(-) 26.32
15	सहकारिता	6.18	7.57	8.15	6.27	7.02	(+) 0.75	(+) 11.96
16	अन्य	301.07	360.70	519.81	481.82	1,359.42	(+) 877.60	(+) 182.14
	योग	**1,913.49**	**2,282.08**	**2,720.29**	**2,930.32**	**6,532.64**	**3,602.32**	**122.93**

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (सितम्बर 2007) के बाद भी सूचित नही किया (अक्टूबर 2007) ।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

राजस्व के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 के लिये राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक एवं बजट अनुमानों के मध्य भिन्नता नीचे दी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
कर राजस्व					
1	व्यापार कर	14,528.00	13,278.82	(-) 1,249.18	(-) 8.60
2	राज्य आबकारी	3,650.00	3,551.25	(-) 98.75	(-) 2.71
3	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	3,500.00	4,513.67	(+) 1,013.67	(+) 28.96
4	माल एवं यात्रियों पर कर	642.32	108.70	(-) 533.62	(-) 83.08
5	वाहनों पर कर	709.68	1,017.60	(+) 307.92	(+) 43.39
6	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	143.45	131.57	(-) 11.88	(-) 8.28
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	220.00	193.92	(-) 26.08	(-) 11.85
8	भू–राजस्व	81.78	187.52	(+) 105.74	(+) 129.30
करेतर राजस्व					
1	विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	2,281.23	(+) 2,200.13	(+) 2,712.86
2	ब्याज प्राप्तियाँ	651.57	828.86	(+) 177.29	(+) 27.21
3	वानिकी एवं वन्य जीवन	127.46	212.37	(+) 84.91	(+) 66.62
4	बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	35.11	143.29	(+) 108.18	(+) 308.12
5	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	71.22	814.96	(+) 743.74	(+) 1,044.29
6	अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	350.50	345.34	(-) 5.16	(-) 1.47

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के कारणों को आग्रह किये जाने (सितम्बर 2007) के बाद भी सूचित नही किया (अक्टूबर 2007) ।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष, 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 2005–06 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत निम्नवत् थे :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2005–06 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1	व्यापार कर	2004-05	8,888.31	178.53	2.00	0.91
		2005-06	11,284.67	193.51	1.71	
		2006-07	13278.82	200.19	1.51	
2	माल तथा यात्री वाहनों पर कर	2004-05	857.58	12.99	1.60	2.67
		2005-06	1,070.39	31.27	2.92	
		2006-07	1126.30	30.25	2.69	
3	राज्य आबकारी	2004-05	2,686.19	29.66	1.10	3.40
		2005-06	3,088.54	33.39	1.08	
		2006-07	3551.25	37.34	1.05	
4	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2004-05	2,682.36	58.84	2.20	2.87
		2005-06	2,996.78	52.55*	1.75	
		2006-07	4513.67	61.36	1.36	

इस प्रकार व्यापार कर के अन्तर्गत संग्रह की लागत वर्ष 2005–06 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से उच्च थी ।

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष के प्रारम्भ में व्यापार कर के अनिर्णीत कर निर्धारण मामले, वर्ष के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिये प्राप्य अतिरिक्त मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के

* विशेष परिस्थितियों में 8.41 करोड़ रुपये की बचत के कारण ह्रास ।

अन्त में निस्तारण के लिये अवशेष मामलों का विवरण, जैसाकि व्यापार कर विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में बताया गया है, नीचे दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्य मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष मामले
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2002-03	4,67,623	5,29,858	9,97,481	5,21,969	4,75,512
2003-04	4,75,512	4,83,428	9,58,940	4,76,263	4,82,677
2004-05	4,82,677	5,87,405	10,70,082	5,39,360	5,30,722
2005-06	5,30,722	5,33,349	10,64,071	5,22,962	5,41,109
2006-07	5,41,109	6,00,531	11,41,640	5,64,532	5,77,108

बकाया मामले प्रतिवर्ष स्थिर गति से बढ़ रहे है। कर निर्धारण के बकाये मामलों के निस्तारण के लिये विभाग को समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.5 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2007 को बकाये की धनराशि 15,021.59 करोड रुपये, जिसमें व्यापार कर से सम्बन्धित पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित 8,390.34 करोड रुपये है, नीचे दिया गया है ।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को बकाये की धनराशि	31 मार्च 2007 को 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	टिप्पणी
1	व्यापार कर	14,569.19	8,390.34	14,569.19 करोड़ रुपये में से 644.70 करोड़ रुपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । न्यायालयों/सरकार द्वारा 995.83 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर 257.11 करोड़ रुपये की वसूली बकाया है। 1,183.27 करोड़ रुपये की मॉग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 55.72 करोड़ रुपये परिवहन पर बकाया है। 892.13 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। वसूली प्रमाण पत्र से अनाच्छादित शेष 10,540.43 करोड़ रुपये का बकाया विभाग के विशेष कार्यवाही के अधीन है।
2	मनोरंजन कर	12.43	4.54	12.43 करोड़ रुपये में से 6.86 करोड़ रुपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । न्यायालयों/सरकार द्वारा 4.69 करोड़ रुपये की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। शेष धनराशि 88 लाख रुपये के लिये नोटिस जारी कर दिया गया है।
3	राज्य आबकारी	52.98	उपलब्ध नहीं	52.98 करोड़ रुपये में से 27.16 करोड़ रुपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 21.83 करोड़ रुपये न्यायालय द्वारा तथा 1.72 करोड़ रुपये शासन/विभाग द्वारा स्थगित कर दिया गया था । 2.27 करोड़ रुपये की मांग को बट्टे खाते में डाला जाना था।
4.	माल एवं यात्री वाहनों पर कर मार्ग कर =5.39 माल कर=5.85 यात्री कर=11.76	23.00	उपलब्ध नहीं	23 करोड़ रुपये की मॉग में से 1.92 करोड़ रूपये और 18 लाख रुपये मॉग क्रमशः न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। शेष 20.90 करोड़ रुपये की मॉग वसूली के लिए लम्बित थी।
5	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन	352.61	उपलब्ध नहीं	352.61 करोड़ रुपये मे से 60.03 करोड़ रुपये के लिये मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 27.02 करोड़ रुपये की मॉग अपील कोर्ट द्वारा अवमुक्त कर दिया गया था। 154.25 करोड़ रुपये की मॉग विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दिया गया था। शेष 111.31 करोड़ रुपये की मॉग वसूली के लिए लम्बित थी।
6.	भू–राजस्व	11.38	उपलब्ध नहीं	11.38 करोड़ रुपये मॉग मे से 1.55 करोड़ रुपये शासन द्वारा स्थगित कर दिया गया था शेष 9.83 करोड़ रुपये की मॉग वसूली हेतु लम्बित थी।
	योग	**15,021.59**	**8,394.88**	

1.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल तथा यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व एवं लोक निर्माण, सिंचाई, गृह एवं शहरी विकास, शिक्षा, खान एवं खनिज, पुलिस, वित्त विभाग आदि के अभिलेखों की नमूना जॉच से 2370 मामलों में 405.08 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2006–07 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 41 मामलों में 56.23 लाख रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 19.58 लाख रुपये मार्च 2007 तक वसूल किये गये।

इस प्रतिवेदन में 92.18 करोड़ रुपये वित्तीय प्रभाव की दो समीक्षाओं सहित 24 प्रस्तर हैं। विभाग/सरकार ने 174.47 लाख रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियां स्वीकार की, जिसमें से 2.80 लाख रुपये अगस्त 2007 तक वसूल किये गये हैं ।

1.7 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों का नियमावली एवं कार्यप्रणालियों के अनुरूप रख–रखाव का सत्यापान एवं संव्यवहारों की नमूना जॉच के लिए सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण संचालित करते हैं । इन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्रति0) के द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है । निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का जब स्थल पर ही समाधान नहीं हो पाता तो निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को, उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी की जाती है । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2007 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.		2005	2006	2007
1.	जून तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,567	7,832	9,524
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	17,394	19,257	21,445
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	4,102.33	4,225.60	4782.48

जून 2007 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉ एवं सन्निहित धनराशि का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियॉ सम्बन्धित है
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	957	1,691	1,822.09	1991-92 to 2006-07
2	व्यापार कर	1,932	8,744	1,772.67	1984-85 to 2006-07
3	राज्य आबकारी	764	1,173	412.17	1984-85 to 2006-07
4	भू–राजस्व	918	1,293	39.98	1987-88 to 2006-07
5	माल एवं यात्री वाहनों पर कर	932	2,862	126.19	1984-85 to 2006-07
6	लोक निर्माण	604	559	27.54	1985-86 to 2006-07
7	सिंचाई	384	672	81.63	1984-85 to 2006-07
8	गन्ने के कय पर कर	99	113	56.08	1985-86 to 2006-07
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,052	3,041	161.80	1984-85 to 2006-07
10	कृषि	208	311	22.55	1985-86 to 2006-07
11	विद्युत शुल्क	280	358	170.64	1985-86 to 2006-07

12	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	114	179	19.61	1991-92 to 2006-07
13	सहकारिता	112	121	59.8	1985-86 to 2006-07
14	मनोरंजन कर	101	146	6.12	1986-87 to 2006-07
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	64	179	3.59	2002-03 to 2006-07
16.	जेल	3	3	0.02	2002-03 to 2006-07
	योग	**9,524**	**21,445**	**4,782.48**	

चूँकि बकाये की धनराशि वसूल न किये गये राजस्व को इंगित करती है अतः सरकार द्वारा प्रतिवेदनों में उठाये गये प्रकरणों पर तेज एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ।

1.8 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती – सारांश

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गये प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदन में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं, चाहे वह (लो.ले.स.) द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया हो या न लिया गया हो; पर विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किया। 2001–02 से 2005–2006 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, में सम्मिलित 70 प्रस्तरों/समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणी निर्धारित अवधि तीन माह बीत जाने के बाद भी अगस्त 2007 तक कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्ष 2001–02 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

प्रतिवेदन वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों/ समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित है
2001-02	27 जुलाई 2004	34	25	09
2002-03	08 नवम्बर 2004	26	11	15
2003-04	20 जुलाई 2005	25	10	15
2004-05	11 मार्च 2006	22	12	10
2005-06	25 जनवरी 2007	21	00	21
	योग	**128**	**58**	**70**

1.9 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में 4,363.79 करोड़ रुपये के सन्निहित, अवनिर्धारण, करों का कम आरोपण /अनारोपण, राजस्व क्षति, मांग सृजित करने में असफलता आदि के मामले प्रतिवेदित किये गये । सम्बन्धित विभागों ने अगस्त 2007 तक 303.17 करोड़ रुपये की आपत्तियाँ स्वीकार की और केवल 1.94 करोड़ रुपये वसूल किये । लेखा परीक्षा प्रतिवेदनवार स्वीकार किये गये मामलों तथा वसूली का विवरण नीचे दर्शाया गया है ।

(करोड़ रुपये)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूली गयी धनराशि
2001-02	987.71	50.95	0.54
2002-03	1,546.48	109.91	0.05
2003-04	473.20	104.01	0.12
2004-05	449.74	30.39	1.18
2005-06	906.66	7.91	0.05
योग	**4,363.79**	**303.17**	**1.94**

अध्याय–2
व्यापार कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच में कर के अवनिर्धारण, अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण तथा कर की अनियमित छूट इत्यादि के 1,548 मामले पाये गये जिसमें 74.60 करोड़ रूपये की राशि विहित थी, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रूपये में)

क0 सं0	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अनियमित छूट	214	23.67
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण अथवा कम आरोपण	702	15.55
3.	कर का अपवंचन	1	6.24
4.	अतिरिक्त कर/प्रवेश कर का अनारोपण	263	4.87
5.	माल का गलत वर्गीकरण	17	4.14
6.	कर की गलत दर	109	2.47
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएं	08	1.37
8.	टर्न ओवर पर कर लगने से छूट जाना	13	0.24
9.	गणना की त्रुटि	13	0.09
10.	अन्य अनियमितताएं	208	15.96
	योग	**1,548**	**74.60**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 38 मामलों में निहित 35.73 लाख रूपये का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें छः मामलों में निहित 1.67 लाख रूपये की धनराशि वसूल की गई थी।

कुछ निदर्शी मामले जिसमें 15.63 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं। 2.80 लाख की धनराशि वसूल की जा चुकी थी।

2.2 व्यापार कर विभाग में कर का अपवंचन

2.2.1 अपात्र करमुक्ति

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) नियमावली, 1948 के नियम 25 सपठित कमिश्नर व्यापार कर के परिपत्र[1] दिनांक 25 जून 2001 में यह प्रावधान किया गया है कि नई औद्योगिक इकाइयों को कर से छूट/कर की दर में कमी से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को व्यापार कर विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर मण्डल स्तरीय समिति द्वारा निस्तारित नहीं किया जाता है तो समिति प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का अधिकार खो देगी। ऐसी समिति द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (पा0प्र0) वैध नही होगा तथा ऐसे पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर निर्माता कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा के उपभोग हेतु पात्र नहीं होंगे।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) 4 व्यापार कर, गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 हेतु मिनरल वाटर तथा मैंगो पल्प जूस के एक निर्माता को मार्च 2005 से मार्च 2006 के मध्य कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी यद्यपि उनको लेखा परीक्षा की तिथि (सितम्बर 2006) तक पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत नही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 4.18 करोड़ रुपये के कर की गलत छूट दी गयी।

मामला विभाग तथा शासन को जून 2007 मे प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.2.2 माल के हस्तान्तरण पर अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0क0 अधिनियम) की धारा 6ए सपठित के0बि0क0 नियमावली के नियम 12(5) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विक्रेता व्यापारी अन्य राज्यों में माल के हस्तान्तरण पर कर मुक्ति का हकदार है यदि वह हस्तान्तरी से प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्राप्त करके सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) के समक्ष कर निर्धारण के समय तक प्रस्तुत कर देता है। यदि संव्यवहार प्रपत्र 'एफ' से आच्छादित नहीं है तो ऐसे माल की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा उस राज्य के अन्दर माल की खरीद अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर देय होगा।

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7 सपठित के0बि0क0 (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पंजीयन हेतु इच्छुक व्यापारी अपने प्रार्थना पत्र में अन्य राज्यों में व्यापार का स्थान, पता तथा पंजीयन का उल्लेख करेंगे ताकि क0नि0प्रा0 द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में उनको सम्मिलित कर लिया जाय।

छः व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि कर निर्धारण आदेश पारित करते समय प्रपत्र 'एफ' में घोषणाओं के विरूद्ध अन्य राज्यों के डिपो में 12.06 करोड़ रुपये मूल्य के माल के हस्तान्तरण पर नौ व्यापारियों को कर मुक्ति प्रदान की गयी। व्यापारी छूट के हकदार नहीं थे क्योंकि उन्होंने अन्य राज्यों में अपने व्यापार का स्थान घोषित नहीं किया था।

[1] नई इकाई–झांसी परिक्षेत्र झांसी/176/व्यापारकर दिनांक 25 जून 2001

अतः माल के हस्तान्तरण के स्थान पर अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मानते हुए व्यापारी 1.29 करोड़ रुपये कर के भुगतान के दायी थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष / कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	स्थान जहां वस्तुएं हस्तान्तरित की गई किन्तु पंजीयन प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं	आवर्त जिसे माल का हस्तान्तरण माना गया	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर
1	डि0क0(क0नि0) 6 व्या0क0 लखनऊ	1	2003–04 जनवरी–06	टायरट्यूब	देहरादून	265.11	12	31.81
2	डि0क0(क0नि0) 17 व्या0क0 कानपुर	1	2003–04 मार्च–06	मटर की दाल	दिल्ली, पंजाब तथा आसाम	79.42	10	7.94
3	डि0क0 (क0नि0)11 व्या0क0 गाजियाबाद	1	2002–03 अक्तूबर–05	पेन्ट	उत्तरांचल	44.19	12	5.30
			2003–04 अक्तूबर–05	पेन्ट	–तदैव–	46.33	12	5.56
4	डि0क0(क0नि0) 18 बी व्या0क0 कानपुर	2	2003–04 दिसम्बर–05	दवा	नई दिल्ली तथा जबलपुर काशीपुर	96.61	10	9.66
			जनवरी –06	प्लास्टिक कासामान		284.90	10	28.49
5	डि0क0(क0नि0) 7 व्या0क0 नोएडा	1	2003–04 अक्तूबर–06	रेजिन	नई दिल्ली	24.15	10	2.42
		1	2003–04 मार्च–06	इलेक्ट्रानिक का सामान	चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता	214.68	10	21.47
6	डि0क0(क0नि0) 7एव्या0क0 नोएडा	1	2002–03 अक्तूबर–05	बिजली का तार	नई दिल्ली	47.90	10	4.79
			2003–04 दिसम्बर–05	–तदैव–		30.46	10	3.05
		1	2002–03 अक्तूबर–05	सीमेन्ट पेन्ट	पंजाब जम्मू तथा उत्तरांचल	72.73	12	8.73
		9				1,206.48		129.22

मामला विभाग / शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.2.3 आवर्त का छिपाना / मिथ्या घोषणा के कारण कर का अपवंचन

उ0प्र0 व्या0क0अ0, 1948 के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 सन्तुष्ट है कि व्यापारी ने अपने आवर्त का ब्यौरा छिपाया है अथवा जानबूझ कर ऐसे आवर्त का त्रुटिपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया है अथवा मिथ्या प्रमाणपत्र / घोषणापत्र जारी किया है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर कर आरोपणीय नहीं रह जाता है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त बचाये गये कर का 50 प्रतिशत न्यूनतम तथा 200 प्रतिशत अधिकतम अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा।

17 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 18 व्यापारियों ने या तो आवर्त छिपाया था अथवा मिथ्या / फर्जी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 1.09 करोड़ रुपये कर आरोपित किया गया किन्तु कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया यद्यपि व्यापारी 55 लाख रुपये न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि 15 मामलों में 46 लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों मे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2007)।

2.2.4 अनियमित कर मुक्ति/त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों के विरूद्ध रियायत

के0बि0क0 (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के अन्तर्गत यदि विक्रेता क्रेता व्यापारी से किसी वस्तु की बिक्री पर रियायती दर से कर आरोपण हेतु वांछित घोषणा प्रपत्र 'सी' में सम्पूर्ण विवरण जैसे केन्द्रीय पंजीयन संख्या, वैधता की तिथि, क्रय आदेश की संख्या तथा तिथि सहित प्रपत्र 'सी' प्राप्त करके सम्बन्धित क0नि0 प्रा0 के समक्ष कर निर्धारण के समय तक प्रस्तुत करता है तो वह चार प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का दायी है। प्रपत्र 'सी' में घोषणा से अनाच्छादित माल की बिक्री पर (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) 10 प्रतिशत की दर से अथवा उस प्रदेश के अन्दर माल की खरीद अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है। पुनश्च राज्य के बाहर माल हस्तान्तरित करने वाला व्यापारी कर मुक्ति का हकदार होगा यदि वह हस्तान्तरिती से प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्राप्त करके सम्बन्धित क0नि0प्रा0 के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।

पाँच व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि छः व्यापारियों के कर निर्धारण वादों में 81.92 लाख रुपये तथा 96.39 लाख रुपये मूल्य के माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर क्रमशः चार प्रतिशत तथा शून्य की दर से कर आरोपित किया गया यद्यपि प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' की घोषणाओं पर निर्धारित विवरण अंकित नही थे। रियायती दर की गलत स्वीकृति के फलस्वरूप 14.02 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष/कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	त्रुटि की प्रकृति	कर योग्य आवर्त	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
त्रुटिपूर्ण 'सी' फार्म									
1	डि0क0(क0नि0)3 व्या0क0 मेरठ	1	2003–04 नवम्बर–05	ट्रांसफार्मर	पंजीयन संख्या तथा तिथि अंकित नही	11.20	10	4	0.67
		1	2003–04 फरवरी–06	–तदैव–	–तदैव–	28.77	10	4	1.72
2	डि0क0(क0नि0)17 व्या0क0 कानपुर	1	2003–04 मई–06	परिशोधित चमड़ा	दिसम्बर 04 में पंजीकृत	26.22	8	4	1.05
3	डि0क0(क0नि0)7 व्या0क0 नोएडा	1	2003–04 जून–05	प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र	पंजीयन संख्या तथा तिथि अंकित नही	15.73	10	4	0.94
त्रुटिपूर्ण 'एफ' फार्म									
4	डि0क0(क0नि0)2 व्या0क0 इलाहाबाद	1	2003–04 मार्च–06	पी वी यार्न	पूरा पता, पंजीयन संख्या तथा तिथि अंकित नही	83.61	10	शून्य	8.36
5	डि0क0(क0नि0)12 व्या0क0 लखनऊ	1	2003–04 मार्च–06	दवा	–तदैव–	12.78	10	शून्य	1.28
		6				**178.31**			**14.02**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि एक मामले में (क्रम संख्या 5) 1.28 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2007)।

2.2.5 खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा कर का अपवंचन

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 1985 के अन्तर्गत अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थाएं स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर कर के भुगतान से मुक्त हैं।

दो व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि तीन व्यापारियों के द्वारा 86.54 लाख रुपये के मूल्य की स्वनिर्मित वस्तुओं की बिक्री को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित मानते हुए कर मुक्ति प्रदान की गयी थी जबकि उन्होंने उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः व्यापारी वस्तुओं की बिक्री पर 8.06 लाख रुपये कर के भुगतान के दायी थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष / कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	आवर्त	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर
1	डि0क0(क0नि0)12 व्या0क0 लखनऊ	1	2002–03 मार्च–04	वाशिंग पाउडर	49.96	8	4.00
		1	2003–04 मार्च–06	डीजीसेट असेम्बली	8.22	8	0.66
2	डि0क0(क0नि0)10 व्या0क0 लखनऊ	1	2003–04 अक्तूबर–05	अचार, मुरब्बा	28.36	12	3.40
		3			**86.54**		**8.06**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया कि दो मामलों में 4.82 लाख रुपये का कर आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (अगस्त 2007)।

2.3 अर्थदण्ड का अनारोपण

2.3.1 के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से कोई ऐसा माल कर की रियायती दर पर प्रपत्र 'सी' के आधार पर यह मिथ्या घोषणा करते हुए क्रय करता है कि उक्त वस्तु के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित है या प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कय किये गये माल का प्रयोग उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाणपत्र में उल्लिखित प्रयोग से भिन्न प्रकार से करता है, तो व्यापारी पर अभियोजन लगाया जा सकता है। फिर भी क0नि0प्रा0 यदि ठीक समझे तो अभियोजन के बदले वह ऐसी वस्तु की बिक्री पर देय कर का डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

33 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की दिसम्बर 2005 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य नमूना जॉच में यह पाया गया कि 34 व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 2001–02 से 2003–04 के लिये सितम्बर 2003 एवं मार्च 2006 के मध्य किया गया, ने 13.90 करोड़ रूपये का ऐसा माल कय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था। अतः व्यापारी 2.92 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे। कतिपय दृष्टान्त निम्नवत् हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष / कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम जो कि केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं थे	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि.क.(क.नि.) 12 व्या0क0, आगरा	1	2002-03 मई 2004	डुप्लेक्स बोर्ड	76.40	10	11.46
2	डि.क.(क.नि.)3 व्या0क0,मेरठ	1	2003-04 मार्च-2006	फ्लोट ग्लास	39.25	16	9.42
3	डि.क.(क.नि.) व्या0क0, मैनपुरी	1	2003-04 अक्टूबर-05	रबर रोलर, वाटर साफ्टनर, ड्रेल मैटीरियल	33.40	10	5.01
4	डि.क.(क.नि.) 4, व्या0क0, मेरठ	1	2003-04 फरवरी-06	पैनल, वाशर	120.83	10	18.12
5	डि.क.(क.नि.) व्या0क0, सरधना मेरठ	1	2003-04 जनवरी-06	एल.एस.डी / एच.एस.डी.	433.13	20	129.94
6	डि.क.(क.नि.) 5, व्या0क0, नोएडा	1	2003-04 जून-05	नाईट्रोजन, पी.वी.सी. रेजिन	93.16	10	13.97
7	डि.क.(क.नि.) 4, व्या0क0,नोएडा	1	2002-03 मार्च-05	हॉट बिटुमिन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर, केपेसिटी एवं अन्य, एज लाइटर (साइट मशीन),टाटा टिपर्स, कशर उपकरण एल.डी.ओ.	94.99 70.05	10 20	35.26
8	डि.क.(क.नि.) 1, व्या0क0, गोरखपुर	1	2003-04 फरवरी-06	एम.एस.चैनल, एम.एस. एंगल, जी आई पिन, स्टील चैनल ट्रान्सफार्मर ऑयल, मेटल आक्साइड	40.33 4.57	8 10	5.53
9.	डि.क.(क.नि.)18 बी, व्या0क0, कानपुर	1	2003-04 सितम्बर-05	सिलिका	20.73	10	3.11

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि 13 मामलों में 40 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया था। विभाग ने आगे बताया कि डुप्लेक्स बोर्ड व सिलिका, पेपर बोर्ड व पी0पी0टी0 सिलिका से आच्छादित हैं (क्रम सं. 1 व 9)। इन दोनों मामलों में उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि डुप्लेक्स बोर्ड व सिलका, पेपर बोर्ड व पी0पी0टी0 सिलिका से भिन्न हैं। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला जून 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.3.2 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के फलस्वरूप किसी दायित्व के निर्वहन हेतु भुगतान के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, संविदाकार को भुगतान के समय ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि के 4 प्रतिशत के बराबर की कटौती करेगा। कटौती करने अथवा ऐसी कटौती की गई धनराशि को कटौती किये जाने वाले माह के अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा किये जाने में असफल रहने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसी काटी गयी राशि के दो गुने से अधिक नहीं होगी।

दो व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2006 और अगस्त 2006 के मध्य की गयी नमूना जॉच में यह देखा गया कि पॉच व्यापारियों ने वर्ष 2003–04 के दौरान ठेकेदारों से 18.05 लाख रूपये के कर की कटौती की किन्तु निर्धारित समय के अन्दर उसे राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि 8 दिन से लेकर 3 माह 19 दिन तक की थी। दिसम्बर 2005 व मार्च 2006 के मध्य अन्तिम कर निर्धारण को करते समय क0नि0प्रा0 36.10 लाख रूपये का अर्थदण्ड[1] आरोपित करने में विफल रहे जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष / कर निर्धारण का माह	कर की धनराशि / जमा करने की तिथियॉ	विलम्ब की अवधि	अर्थदण्ड की धनराशि
1.	असि. कमि. खण्ड–3, व्या0 क0 भदोही	3	2003-04 / जनवरी 2006	4.48 / 18 अगस्त 2003 से 17 मई 2004 तक	17 दिन से एक माह	8.96
			2003-04 / दिसम्बर 2005	2.29 / 29 अगस्त 2003 से 29 जुलाई 2004 तक	14 दिन से दो माह और 29 दिन	4.58
			2003-04 / मार्च 2006	1.02 / 08 मई 2003 से 19 मार्च 2004 तक	8 दिन से तीन माह और19 दिन	2.04
2.	असि. कमि. खण्ड–1, व्या0 क0 सहारनपुर	2	2003-04 / फरवरी 2006	9.30 / 26 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2004 तक	18 दिन से दो माह और पॉच दिन	18.60
				0.96 / 23 जुलाई 2003 से 17 मई 2004 तक	17 दिन से एक माह और 26 दिन	1.92
	योग	**5**		**18.05**		**36.10**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि तीन मामलों में 8.71 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला सितम्बर 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.3.3 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 को यह समाधान हो जाये कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति ने बिना युक्तियुक्त कारण के अपने विक्रयधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को देय कर के अतिरिक्त देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रूपये तक हो और देयकर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार से अधिक हो, तक का अर्थदण्ड अदा करने का निर्देश दे सकता है।

सितम्बर 2005 और जनवरी 2006 के मध्य की गयी तीन व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि तीन व्यापारी, जिनके वर्ष 2002–03 के वादों का कर निर्धारण अक्टूबर 2004 और मार्च 2005 के मध्य किया गया था ने अपना स्वीकृत कर 1.96 करोड़ रूपये समय से जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि 1 से 10 दिनों तक की थी। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा होने के कारण 19.57 लाख रुपये

[1] अर्थदण्ड का आकलन अधिकतम दर पर किया गया क्योंकि अधिनियम में न्यूनतम अर्थदण्ड के आरोपण का प्रावधान नहीं है।

का अर्थदण्ड आकर्षित होता था, जो कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आरोपित नहीं किया गया था। ब्यौरे निम्नवत् हैं:

(लाख रूपये में)

कम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियो की सख्या	वर्ष / कर निर्धारण का माह	स्वीकृत कर की राशि / जमा की तिथि	विलम्ब की अवधि	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1.	डि.क.(क.नि) व्या0क0, गौतम बुद्ध नगर	1	2002-03 / फरवरी 2005	59.62/ 21 मार्च 2003 से 24 मार्च 2003	1 से 4 दिन	5.96
2.	डि.क.(क.नि) 9, व्या0क0, लखनऊ	1	2002-03/ मार्च 2005	38.69/ 25 मार्च 2003	5 दिन	3.87
3.	डि.क.(क.नि) 4, व्या0क0, नोएडा	1	2002-03/ अक्टूबर 2004	97.37/7जून 2002 से 10 जनवरी 2007	1 से 10 दिन	9.74
	योग	3		**195.68**		**19.57**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि एक मामले में 3.87 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला नवम्बर 2005 व जुलाई 2006 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.3.4 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम सपठित विज्ञप्ति दिनांक 21 मई 1994 के अन्तर्गत किसी निर्माता को किसी ऐसे माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं पैकिंग सामग्री इत्यादि को कर की रियायती दर से खरीदने के लिये अनुमति प्रदान की गयी है जिसके लिये उसे निर्माण करने, राज्य के अन्दर बिक्री करने या अर्न्तप्रान्तीय बिक्री करने या भारत के बाहर निर्यात करने के लिये अधिकृत किया गया हो। जारी किये गये मान्यता प्रमाणपत्र[1] में उल्लिखित उद्देश्य से इतर यदि कच्चे माल का अन्यथा निस्तारण किया जाता है, तो सम्बन्धित व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप मे भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की धनराशि से कम न होगी परन्तु ऐसी राशि प्राप्त राहत के तीन गुने से अधिक न होगी।

डिप्टी कमिश्नर, (क.नि.), व्यापार कर, सरधना, मेरठ के अभिलेखों की नवम्बर 2006 में की गयी नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 2004–05 में मान्यता प्रमाणपत्र धारक एक व्यापारी ने निश्चित विशिष्ट माल[2] के निर्माण के लिए 106.49 लाख रूपये के कच्चे माल (टिम्बर) की खरीद कर की रियायती दर से की। यद्यपि कच्चे माल को मान्यता प्रमाणपत्र में उल्लिखित माल से भिन्न (खेल के सामान में) निस्तारित किया गया, उसने 14.38 लाख रूपये की कर में राहत प्राप्त की। अतएव, व्यापारी 14.38 लाख रूपये न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो कि आरोपित नहीं किया गया था।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 2007 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.4 नई औद्योगिक इकाइयों को गलत कर मुक्ति का प्रदान किया जाना

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम, सपठित केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत, प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1995 को या उसके पश्चात विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण और विविधीकरण करने वाली नई या वर्तमान औद्योगिक इकाइयों को कर की दर में छूट या कमी की एक योजना विज्ञापित की थी। कर की दर में छूट या कमी की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप में जनपदीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तरीय

[1] मान्यता प्रमाणपत्र: एक प्रमाणपत्र जो विभाग द्वारा निर्माता को दिया जाता है जिसमें वस्तु का नाम जिसे निर्मित किया जाना है एवं उसके कच्चे माल का उल्लेख रहता है।

[2] कृषि उपकरण, लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, बुग्गियाँ, लोहे की ग्रिल, लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, पत्थर एवं हार्डवेयर।

समिति के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना था। पात्रता प्रमाणपत्र (पा0प्र0) जारी करने हेतु यद्यपि कि उद्योग विभाग को प्राधिकार है किन्तु वह व्यापार कर विभाग (व्या0क0वि0) की संस्तुति पर ही ऐसा करता है। समिति में भी व्या0क0वि0 का एक प्रतिनिधि होता है। व्या0क0वि0 ने दिनांक 18 मार्च 1986 को पा0 प्र0 जारी करने हेतु मामला संस्तुत करते समय किये जाने वाले कुछ निश्चित जॉच के निर्देश जारी किये थे, ताकि केवल पात्र इकाइयों को ही लाभ अनुमन्य किया जा सके। पुनश्च, यदि कमिश्नर का ऐसा मत हो कि किसी नई इकाई जिसको कि पा0प्र0 दिया गया हो वह इस सुविधा की पात्र नहीं है तो, वह आदेश में वर्णित तिथि से जो कि इस आदेश के पहले की तिथि हो से एक लिखित आदेश करके उसके पा0 प्र0 को संशोधित या निरस्त कर सकता है।

2.4.1 उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के प्रावधानों, सपठित शासन के निर्देश दि0 31 मार्च 1995, के अन्तर्गत केवल उन्हीं वर्तमान इकाइयों को कर की दर में छूट या कमी का लाभ अनुमन्य होगा जिन्होंने पूर्व में उत्पादित माल से भिन्न प्रकृति का माल बनाने हेतु विविधीकरण किया हो।

चार व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि चार व्यापारियों को 9 दिसम्बर 1997 से 8 दिसम्बर 2005 के मध्य ऐसी वस्तुओं के निर्माण हेतु उद्योगों के विविधीकरण के लिए पा0प्र0 प्रदान किये गये थे जिन वस्तुओं का निर्माण इन इकाइयों द्वारा पहले से ही किया जा रहा था। इस प्रकार, अधिनियम/विज्ञप्ति के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करके पा0प्र0 प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 1.57 करोड़ रूपये की अनियमित करमुक्ति हुई जैसा कि निम्नवत प्रदर्शित है :

(करोड़ रूपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर मुक्ति की अवधि	व्यापारी द्वारा पहले से निर्मित किये जा रहे माल का नाम	विविधीकरण के अन्तर्गत निर्मित माल का नाम	पात्रता प्रमाणपत्र के माध्यम से ली गई करमुक्ति की धनराशि
1.	डि.क.(क.नि),4 व्या0क0, गाजियाबाद	1	1999–2000 से 2003–04	24 अक्टूबर 1998 से 23 अक्टूबर 2006	ऐसीटिक एसिड (केमिकल)	ब्यूटाइल एसिटेट (केमिकल)	0.55
2.	डि.क.(क.नि),4 व्या0क0, कानपुर	1	2002–03	7 फरवरी 1999 से 6 फरवरी 2011	बिलेट	एस एस बिलेट	0.12
3.	डि.क.(क.नि),7ए व्या0क0, नोएडा	1	2002–03	31 दिसम्बर 1999 से 30 दिसम्बर 2007	मेटलाईज्ड पालिस्टर फिल्म	एमबास्ड पालिस्टर फिल्म	0.40
4.	डि.क.(क.नि),5 व्या0क0, कानपुर	1	2002–03 से 2003–04	31 मार्च 2000 से 30 मार्च 2008	मल्टीलेयर फिल्म	करोना ट्रीटेड मल्टीलेयर फिल्म	0.50
	योग	4					1.57

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि उपरोक्त वस्तुएं भिन्न प्रकृति की थीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 13 अगस्त 2001 के विभागीय परिपत्र[1] में प्रतिपादित सिद्वांत को देखते हुए जिसमें कि श्वेत श्याम व रंगीन टेलीविजन को एक ही प्रकृति की वस्तु माना गया है, ये वस्तुयें पहले से ही निर्माण की जा रही वस्तुओं के समान प्रकृति की हैं।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

[1] पत्र सं0 नई इकाई सर्वश्री न्यू बाक्स सिस्टम/254/व्या0कर लखनऊ दि0 13 अगस्त 2001

2.4.2 शासन की विज्ञप्ति दि0 27 जुलाई 1991 यह प्रावधान करती है कि हार्ड कोक का निर्माण करने वाला व्यापारी उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4 क के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों को कर की दर में छूट या कमी की सुविधा का लाभ लेने का हकदार नहीं है। अग्रेतर, शासन की विज्ञप्ति दि0 17 अक्टूबर, 1994 यह प्रावधान करती है कि धूम्र रहित ईंधन का निर्माण करने वाला व्यापारी भी कर की दर में छूट या कमी की सुविधा का हकदार नहीं है।

डि0 क0 (क0नि0) व्या0क0 चन्दौली के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह देखा गया कि तीन व्यापारियों ने स्वनिर्मित हार्ड कोक व एक अन्य व्यापारी ने धूम्र रहित ईंधन की बिक्री की और उन सभी को नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु मिले पा0 प्र0 के बल पर कर की दर में कमी की सुविधा प्रदान की गयी, यद्यपि वे लाभ के हकदार नहीं थे। इस प्रकार, अनियमित पा0 प्र0 दिये जाने के कारण शासन 76.43 लाख रूपये की धनराशि के कर से वंचित रहा, जैसा कि निम्नवत वर्णित है:

(लाख रूपये में)

कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष / माह	निर्मित माल	करमुक्ति की अवधि	ली गयी करमुक्ति की धनराशि
डि.क.(क.नि) व्या0क0, चन्दौली	1	2001–02 से 2002–03 तक (मई 2004)	हार्ड कोक	3 जुलाई 1995 से 2 जुलाई 2003	10.07
	1	2001–02 से 2002–03 तक (मार्च 2005)	तदैव	14 जून 1995 से 13 जून 2003	7.68
	1	2001–02 नवम्बर 2004 से 2002–03 तक (जनवरी 2005)	तदैव	14 मार्च 1996 से 13 मार्च 2008	18.03
	1	1993–94 से 1999–2000 तक (मार्च 2002)	धूम्र रहित ईंधन	1 जनवरी 1993 से 31 दिसम्बर 2002	40.65
योग	**4**				**76.43**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि हार्ड कोक व धूम्र रहित ईंधन, कोयले से भिन्न हैं। उपर्युक्त वर्णित जुलाई 1991 एवं अक्टूबर 1994 की विज्ञप्तियों को देखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.5 केन्द्रीय बिक्री कर का अनियमित आस्थगन

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम, नियम व विज्ञप्ति के अन्तर्गत कमिश्नर, निर्माता को करमुक्ति / कर की दर में कमी के बदले में उसके द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रान्तीय बिकी पर देय स्वीकृत कर के भुगतान का आस्थगन स्वीकृत कर सकता है। के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत सरकार करमुक्ति या न्यूनतम दर से करारोपण के लिए सक्षम है। के0बि0क0 अधिनियम में आस्थगन के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

तीन व्यापार कर कार्यालयों की नमूना जांच में यह पाया गया कि चार व्यापारियों को वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि के लिए कर के भुगतान का आस्थगन (अधिस्थगन) प्रदान किया गया था। विभाग ने उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4 क के अन्तर्गत जारी पा0प्र0 के आधार पर कर के आस्थगन के आदेश जारी कर दिये न कि के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक के वर्षों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय नवम्बर

2003 एवं सितम्बर 2006 के मध्य तक के लिए 1.25 करोड़ रुपये का आस्थगन के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य कर दिया जो कि निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अनियमित था :

(लाख रूपये में)

कम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	अधिस्थगन की अवधि	आस्थगन का वर्ष	करनिर्धारण का दिनांक	के.बि.क. के आस्थगन की राशि
1.	डि.क.(क.नि.)7 व्या0क0 नोएडा	1	9 फरवरी 2000 से 8 फरवरी 2008	2003–04	28 सितम्बर 2006	36.40
2.	डि.क.(क.नि) 7ए व्या0क0, नोएडा	1 1	24 जनवरी 1996 से 23 जनवरी 2004	2001–02 2002–03 2003–04 2002–03	8 नवम्बर 2003 15 अक्टूबर 2004 28 नवम्बर 2005 7 दिसम्बर 2004	12.02 26.10 23.53 7.43
	डि.क.(क.नि) 5 ए व्या0क0, कानपुर	1	23 अप्रैल 2000 से 22 अप्रैल 2008	2002–03 2003–04	21 दिसम्बर 2004 30 मई 2005	8.62 10.48
	योग	4				124.58

मामले जून 2007 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.6 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दर की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। 1 दिसम्बर 1998 से ऐसे माल की बिक्री पर दस प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है, जो कि अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।

नौ व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि 12 व्यापारियों के कर निर्धारण वादों में 15.46 करोड़ रूपये मूल्य के माल की बिक्री पर माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की सही दर लागू नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 81.98 लाख रूपये कम कर आरोपित हुआ जैसा कि निम्नवत दिया गया है:

(लाख रूपये में)

कम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष एवं कर निर्धारण का माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित किये गये कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि.क.(क.नि.) 3 व्या0क0, मेरठ	1	2003–04 मार्च 2006	टफेण्ड ग्लास को सादा ग्लास माना गया	53.07	16	12	2.12
2	डि.क.(क.नि.) 17 व्या0क0, कानपुर	1	2002–03 जून 2004	नेप्थलीन गोलियों को कीटनाशक माना गया	22.90	10	5	1.15
			2003–04 मई 2005	–तदैव–	50.65	10	5	2.53
3	डि.क.(क.नि.) 7 व्या0क0, नोएडा	1	2003–04 फरवरी 2006	जल रोधी यौगिक को रसायन माना गया	46.73	12	4	3.74
		1	2003–04 अगस्त 2005	वस्त्र उद्योग उपस्कर को रसायन माना गया	21.57	10	4	1.29
4	असि.कमि. खण्ड 14 व्या0क0, आगरा	1	2002–03 अक्टूबर 2004	फ्लोट ग्लास को सादा ग्लास माना गया	11.68	16	10	0.70
5	डि.क.(क.नि.) 12 व्या0क0, लखनऊ	1	2003–04 मार्च 2006	प्रिन्टर एवं उसके पुर्जो को इलेक्ट्रानिक वस्तुएं माना गया	38.92	8	4	1.56
6	डि.क.(क.नि.) 1 व्या0क0, आगरा	1	2000–01 दिसम्बर 2002	फ्लोट ग्लास को अवर्गीकृत माना गया	167.37	15	10	54.06
		1	2001–02 से 2003–04/ दिसम्बर 2003से फरवरी 2006	फ्लोट ग्लास एवं दर्पण को अवर्गीकृत माना गया	761.56	16	10	

7	डि.क.(क.नि.) 2 व्या0क0, कानपुर	1	2002–03 से 2003–04 / मार्च 2004 एवं मई 2005	फ्लोट ग्लास को अवर्गीकृत माना गया	121.24	16	10	7.27
8	डि.क.(क.नि.) 3 व्या0क0, कानपुर	1	2003–04 / जून 2005	प्रयोज्य (थर्मो) गिलासों को प्लास्टिक का सामान माना गया	100.87	10	8	2.02
9	डि.क.(क.नि.) 3 व्या0क0, सहारनपुर	1	2002–03 से 2003–04 / जनवरी 2006	थर्मो वेयर्स (वैक्यूम फ्लास्क) को प्लास्टिक का सामान माना गया	127.26	12	8	5.54
		1			22.45 (केन्द्रीय)	12	10	
	योग	12			1,546.27			81.98

मामला शासन एवं विभाग को अगस्त 2006 से जून 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007) ।

2.7 अनियमित घोषणा पत्रों की स्वीकृति

2.7.1 उ0प्र0व्या0क0 नियमावली यथा संशोधित दिनांक 21 अप्रैल 2001 के अन्तर्गत किसी एकल प्रपत्र में एक कर निर्धारण वर्ष के पॉच लाख रूपये तक के क्रय या विक्रय का सम्व्यवहार ही किया जाएगा।

छः व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच से पाया गया कि सात व्यापारियों को 5 लाख रूपये धनराशि की सीमा से अधिक के फार्म 3 ख में घोषणा के विरूद्ध 17.16 करोड़ रूपये के माल की बिक्री पर कर की दर में छूट प्रदान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 41.65 लाख रूपये कम करारोपण हुआ जैसा कि निम्नवत दिया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष एवं कर निर्धारण का माह	माल का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि.क.(क.नि.) 4 व्या0क0, गाजियाबाद	1	2001–02 दिसम्बर 2003	फेरो एलायज	484.81	4	2.5	7.27
2	डि.क.(क.नि.) 3 व्या0क0, मेरठ	1	2001–02 सितम्बर 2004	लिक्विड डिटेर्जेन्ट	38.00	8	2.5	2.09
3	डि.क.(क.नि.) 7 ए व्या0क0, नोएडा	1	2002–03 जनवरी 2005	एक्सर–साइजर	55.43	10	2.5	4.16
4	असि. कमि. खण्ड–14 व्या0क0, आगरा	1	2002–03 मार्च 2005	पी.वी.सी. सोल	33.35	10	2.5	2.50
		1	2002–03 जनवरी 2005	कारूगेटेड बाक्सेज	2.20	10	2.5	0.17
5	डि.क.(क.नि.) 2 व्या0क0, इलाहाबाद	1	2003–04 मार्च 2006	कोयला	932.00	4	2	18.64
6	डि.क.(क.नि.) व्या0क0, भदोही	1	2002–03 नवम्बर 2004	ऊनी धागा	170.60	4	करमुक्त	6.82
	योग	7			1,716.39			41.65

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि आगरा के एक मामले में 22,000 रूपये का कर आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला शासन को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.7.2. उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत करमुक्ति/कर की दर में कमी का लाभ घोषणापत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर देय है। डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) 17, व्यापार कर, कानपुर के अभिलेखों की नवम्बर 2005 में की गई नमूना जॉच में यह देखा गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2002–03 के दौरान 135 घोषणापत्रों की द्वितीय प्रति के विरूद्ध 6.43 करोड़ रुपये मूल्य का बेटब्लू (लेदर) की बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने इन घोषणापत्रों को स्वीकार किया और चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के बजाय करमुक्ति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप 25.70 लाख रुपये की त्रुटिपूर्ण करमुक्ति दी गई।

मामला विभाग एवं शासन को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.8 ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, से अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय है उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करें। व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान यदि निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो अदत्त भुगतान को जमा करने की तिथि तक 11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और तत्पश्चात् चौदह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आकर्षित होता है।

सितम्बर 2004 एवं अगस्त 2006 के मध्य में छः व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि छः व्यापारियों के वादों में जुलाई 2003 से मार्च 2006 के मध्य निर्धारित वर्ष 2000–01, 2002–03 एवं 2003–04 का स्वीकृत कर 45.01 लाख रूपये विलम्ब से जमा किया गया था। विलम्ब की अवधि 555 दिनों से 1,105 दिनों तक की थी। 19.68 लाख रूपये ब्याज प्रभार्य था किन्तु विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया था। मामले निम्नवत् दिये गए हैं:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष एवं कर निर्धारण का माह	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि जिसके लिये ब्याज प्रभारित नहीं किया गया	ब्याज की धनराशि
1	डि.क.(क.नि) व्या0क0, एटा	1	2002-03 मार्च 2005	6.32	893 दिन	3.29
2	डि.क.(क.नि) 18 ए व्या0क0, कानपुर	1	2000-01 जुलाई 2003	5.41	555 दिन से 1,105 दिन	1.08
3	डि.क.(क.नि) व्या0क0, नजीबाबाद	1	2002-03 एवं 2003-04 दिसम्बर 2004	1.58 1.12	1,078 दिन, 734 दिन	1.36
4	डि.क.(क.नि) व्या0क0, रायबरेली	1	2003-04 मार्च 2006	27.26	970 दिन	12.50
5	डि.क.(क.नि) व्या0क0, सोनभद्र	1	2002-03 मार्च 2005	1.21	1,053 दिन	0.71
6	असि. कमि. खण्ड–9, व्या0 क0 लखनऊ	1	2003-04 फरवरी 2006	2.11	665 दिन से 728 दिन	0.74
	योग	**6**		**45.01**		**19.68**

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि पॉच मामलों में 17.12 लाख रुपये का ब्याज आरोपित कर दिया गया था और एक मामले में वसूली प्रमाणपत्र को पुनरीक्षित कर दिया गया था। इसमें से दो मामलों में 2.80 लाख रुपये का ब्याज वसूला जा चुका था।

मामला शासन को नवम्बर 2004 एवं नवम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.9 क्रय कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 ककक्क के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यापारी जो किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति से कोई कर योग्य माल क्रय करता है तो वह उस वस्तु के क्रय पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है, क्रय कर के भुगतान का दायी होगा। न्यायिक रूप से यह निर्णीत[1] है कि यदि गन्ने की खरीद पर क्रय कर अदा नहीं किया गया तो उसके बैगास[2] की बिक्री पर कर देयता है।

नवम्बर 2006 से जनवरी 2007 के मध्य में दो व्यापार कर कार्यालयों[3] की लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 में दो व्यापारियों ने 176.10 लाख रूपये मूल्य का बैगास अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किया। इसके गन्ने पर क्रय कर अदा नहीं किया गया था। जनवरी 2006 में क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय बैगास पर 17.61 लाख रुपये क्रय कर आरोपित नहीं किया।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2006 में बताया कि बैगास की अपंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर कर आरोपणीय नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कर आरोपणीय था।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 2007 एवं मार्च 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

2.10 गलत दर से कर लगाये जाने के कारण कम करारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत माल पर विभिन्न दरों से शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। जो वस्तुएँ निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से दस प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

मार्च 2006 से दिसम्बर 2006 की अवधि में छः व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ कि जनवरी 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 6 व्यापारियों के वर्ष 2002–03 से 2003–04 तक की अवधि का कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने 376.65 लाख रुपये मूल्य के माल पर त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 12.36 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ। विवरण निम्नवत् है:

(लाख रूपये में)

कम सं0	कार्यालय का नाम	वर्ष कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	अरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	डि.क.(क.नि.)1 ए व्या0 क0 गाजियाबाद	2002-03 मार्च 2005	वोल्टेज स्टेबलाइजर	46.65	12	10	0.93
2.	डि.क.(क.नि.)1 व्या0 क0 कानपुर	2003-04 मार्च 2006	मोपेड का टायर एवं ट्यूब्स	41.38	12	8	1.66
3.	डि.क.(क.नि.) 8 व्या0 क0 लखनऊ	2003-04 जनवरी 2006	आटो टायर्स एवं ट्यूब्स	20.12	12	8	0.80

---

[1] सर्वश्री एस एम सी फूड लि0 सहारनपुर बनाम व्यापार कर कमिश्नर उ. प्र. के बाद में सदस्य व्यापार कर अधिकरण सहारनपुर पीठ दिनांक 14.10.2005।

[2] गन्ने का अवशेष (खोई)।

[3] डि.क. (क.नि.) व्यापार कर सरधना (मेरठ) एवं डि.क. (क.नि.)–I व्यापार कर इलाहाबाद।

4.	डि.क.(क.नि.)4 व्या0 क0 मेरठ	2003-04 दिसम्बर 2005	लेखन सामग्री	173.57	10	8	3.47
5.	असि. कमि. खण्ड 5 व्या0 क0 इलाहाबाद	2002-03 मार्च 2005	सोल्डर राड	20.00	10	5	1.00
6.	असि.कमि. खण्ड 2 व्या0 क0 वाराणसी	2002-03 जून 2005	इनवर्टर	74.93	10	4	4.50
			योग	376.65			12.36

मार्च 2006 से दिसम्बर 2006 के मध्य में मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने मई 2006 एवं अगस्त 2007 में अवगत कराया कि इलाहाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ के तीन मामलों में 2.74 लाख रूपये का कर आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला शासन को जनवरी 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.11 केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण

के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत घोषणापत्र 'सी' से अनाच्छादित माल (घोषित माल से भिन्न) की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत या सम्बन्धित राज्य में उक्त माल की खरीद या बिक्री पर लागू कर की दर जो भी अधिक हो, आरोपणीय है।

तीन व्यापार कर कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 2003–04 के मध्य तीन व्यापारियों ने 70.16 लाख रूपये मूल्य के ड्यूटी इनटाइटलमेण्ट पास बुक (डीईपीबी), अचार, मुरब्बा और चमड़े के सामान की बिना फार्म 'सी' में घोषणा के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2005 एवं नवम्बर 2005 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय 10 व 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के बजाय करमुक्ति/कर की न्यूनतर दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 6.87 लाख रूपये कम कर का आरोपण हुआ।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि एक मामले में 88,000 रूपये का कर आरोपित कर दिया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला शासन को नवम्बर 2006 एवं जून 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.12 घोषणापत्रों का दुरुपयोग

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 ख यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या या त्रुटिपूर्ण घोषणापत्र जारी करता है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर लगनेवाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो व्यापारी ऐसी राशि का दायी होगा जो उसने ऐसे माल की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया है।

तीन व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की जनवरी 2006 और अक्टूबर 2006 के दौरान की गई नमूना जॉच में यह पाया गया कि तीन व्यापारियों ने 44.18 लाख रुपये मूल्य का माल निर्धारित घोषणापत्रों को जारी करके कर की रियायती दर से खरीदा।

[1] (I) डि0क0 (क0नि0) व्यापार कर 11, आगरा (II) डि0क0 (क0नि0) व्यापार कर खुर्जा (III) डि0क0 (क0नि0) 10, व्यापार कर लखनऊ

चूँकि व्यापारी अपने मान्यता प्रमाणपत्र[1] के अनुसार इस माल को खरीदने हेतु प्राधिकृत नहीं थे, वे इस खरीद पर बचाये गये कर के बराबर 6.80 लाख रुपये के कर के भुगतान के दायी थे जैसा कि निम्नवत दर्शित है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	वर्ष / कर निर्धारण का माह	खरीदी गयी वस्तु	खरीदी गयी वस्तु का मूल्य	कर की अन्तरीय दर (प्रतिशत में)	सन्निहित कर की धन राशि
1	डि.क.(क.नि.) 10 व्या0क0, आगरा	2003–04 अप्रैल 2005	पी.वी.सी. कम्पाउण्ड	4.96	7.5	0.53
			लुब्रीकेन्ट ऑयल	0.89	17.5	
2	डि.क.(क.नि.) व्या0क0, हसनपुर	2002–03 फरवरी 2005	एल.डी.ओ†.	31.80	17.5	5.56
3	डि.क.(क.नि.) 6 व्या0क0, नोयडा	2003–04 नवम्बर 2005	कूलिंग टावर	3.71	13.5	
			पैनल	1.04		
			चैनल	1.54	7.5	0.71
			गैस आर 22	0.24		
	योग			44.18		6.80

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2007 में बताया कि एक मामले में कर के अन्तरीय दर 16,000 रुपये की धनराशि आरोपित कर दी गई है। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

मामला जून 2006 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

2.13 अनियमित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की घारा 8 (5), जिसका संशोधन 13 मई 2002 में किया गया था (सपठित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 27 मई 2002) में यह व्यवस्था है कि माल के अन्तर्प्रान्तीय बिकी पर कर मुक्ति या कर की दर में कमी का लाभ घोषणा प्रपत्र 'सी' या 'डी' प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य है। अग्रेतर, केन्द्रीय बिकी पर देय इस प्रकार का लाभ उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 4–क के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति से आच्छादित नई इकाइयों को उक्त धारा के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत अनुमन्य है।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)–2, व्यापार कर, मुरादाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की जून 2006 में नमूना जॉच में यह पाया गया कि वैध पात्रता प्रमाणपत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 2003–04 में 80.27 लाख रुपये मूल्य के कागज की प्रपत्र 'सी' से अनाच्छादित अन्तर्प्रान्तीय बिकी की। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण किया एवं धारा 4–क के अन्तर्गत 5.66 लाख रूपये की कर मुक्ति प्रदान की। परिणामस्वरूप 5.66 लाख रूपये की अनियमित कर मुक्ति प्रदान की गई।

मामला विभाग एवं शासन को जून 2006 में प्रतिवेदित कर दिया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

[1] एक प्रमाणपत्र जो विभाग द्वारा निर्माता को दिया जाता है जिसमें वस्तु का नाम जिसे निर्मित किया जाना है एवं उसके कच्चे माल का उल्लेख रहता है।

† लाइट डीजल ऑयल ।

अध्याय–3
राज्य आबकारी प्राप्तियाँ तथा माल एवं यात्री वाहनों पर कर

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संबंधित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 74.69 करोड़ रुपये के अभिकरों, शुल्कों एवं करों का अनारोपण/कम आरोपण, मार्ग कर व माल कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के 365 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
राज्य आबकारी			
1.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	25	36.49
2.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	6	1.08
3.	एम.जी.क्यू. का अतार्किक निर्धारण	4	0.68
4.	देशी मदिरा की एम.जी.क्यू. का उठान न करने से अभिकर की क्षति	11	0.32
5.	अनुज्ञापन शुल्क का वसूल न किया जाना	16	0.26
6.	ब्याज का अनारोपण	5	0.10
7.	अन्य अनियमितताएं	55	21.75
	योग	**122**	**60.68**
माल एवं यात्री वाहनों पर कर			
1.	यात्रीकर/अतिरिक्त कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	96	6.60
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	17	0.90
3.	एकमुश्त यात्री कर की त्रुटिपूर्ण संगणना	14	0.71
4.	मार्ग कर का कम आरोपण	23	0.63
5.	अन्य अनियमितताएं	93	5.17
	योग	**243**	**14.01**
	महायोग	**365**	**74.69**

वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित विभागों द्वारा तीन मामलों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों से संबंधित 20.50 लाख रुपये स्वीकार किये गये जिसमें से 17.91 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 6.63 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:

राज्य आबकारी

3.2 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उ0प्र0 आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधन) नियमावली, 1978 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए.एल) अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । इस उद्देश्य से आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे से मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलोजिस्ट को जॉच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है । शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा प्रतिभूति जब्त की जा सकती है ।

सात आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2003–04 से 2006–07 के दौरान शीरे के 127 मिश्रित नमूने अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट को भेजे गये थे । अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट की आख्या के अनुसार शीरे में उपस्थित 2.83 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 1.49 करोड़ ए.एल. अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए जबकि अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 1.39 करोड़ ए.एल. ही हुआ । फलस्वरूप 9.65 लाख ए.एल. अल्कोहल की कमी तथा 4.63 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की क्षति हुई। विभाग द्वारा, आसवनियों के लाइसेंस रद्द करने तथा 1.40 करोड़ रुपये की जमा प्रतिभूति को जब्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग व शासन को अप्रैल 2005 एवं नवम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

3.3 देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की क्षति

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिकी के लिए अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुज्ञापी समस्त निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.क्यू.) उठाने के लिये उत्तरदायी है । असफल होने की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि का समायोजन करेगा तथा अगले माह की तीसरी तारीख तक अनुज्ञापी को नोटिस भी देगा कि वह प्रतिभूति के राशि की कमी को या तो पुनः देशी शराब की उतनी मात्रा, जिसमें निहित शुल्क समायेाजित धनराशि के बराबर हो उठाकर या नगद जमा कर या फिर दोनों ही विकल्पों द्वारा प्रतिपूर्ति करे । यदि अनुज्ञापी आगामी माह की 10वीं तारीख तक प्रतिभूति की राशि की कमी को प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त समझा जायेगा ।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[1] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि के दौरान 87 अनुज्ञापियों ने देशी शराब का 6,54,968 बल्क लीटर (बी.एल.) एम.जी.क्यू. के सापेक्ष 5,89,145.83 बी.एल. का उठान किया। जबकि इन अनुज्ञापियों ने कम उठान के लिए अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क के 52 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं किया । विभाग ने प्रतिभूति से धनराशि के समायोजन अथवा लाइसेन्स निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किया ।

[1] भदोही, फिरोजाबाद, उरई एवं रायबरेली ।

फलस्वरूप 65,822.17 बी.एल. एम.जी.क्यू. जिसमें 52 लाख रुपये आबकारी अभिकर सन्निहित था, का कम उठान हुआ ।

प्रकरण विभाग और शासन को मार्च 2005 से सितम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त–2007)।

माल एवं यात्री वाहनों पर कर

3.4 बिना परमिट के संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर का न/कम वसूल किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम 1988, के अन्तर्गत, वाहन स्वामी समुचित परमिट के बिना सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन को प्रयोग में नहीं लायेगा। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (उ0प्र0मो0वा0करा0) अधिनियम 1997, अक्टूबर 2001 में यथा संशोधित, कोई भी मोटर वाहन (मंजिली गाड़ी) ड्राइवर के अतिरिक्त नौ व्यक्तियों से अधिक को ढोने के लिये बिना परमिट के पंजीकृत अथवा अधिगृहीत नहीं होगा जब तक कि वाहन स्वामी ऐसे वाहन पर देय कर के अलावा 25 प्रतिशत सहित अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं कर देता।

सात संभागीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की अप्रैल, 2005 एवं नवम्बर, 2006 के मध्य की गई नमूना जॉच में यह संज्ञान में आया कि जून 2002 से अक्टूबर, 2006 के दौरान 332 मंजिली गाड़ियाँ परमिट की वैधता के समाप्ति के उपरान्त भी अपने निर्धारित मार्गों पर संचालित थीं। वाहन स्वामियों ने अपने परमिटों का नवीनीकरण नहीं कराया। यद्यपि उनके द्वारा कर का भुगतान किया गया था किन्तु देय अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 3.94 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर वसूल नहीं किया गया/कम वसूल किया गया, जैसा कि निम्नवत् दर्शाया गया है:

(लाख रूपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	बिना परमिट संचालित वाहनो की संख्या	अवधि	आरोपित अतिरिक्त कर	आरोपणीय अतिरिक्त कर	अतिरिक्त कर का अनारोपण या कम आरोपण
1.	संभागीय परिवहन अधि. अलीगढ़	57	अप्रैल 2004 से मार्च 2005	–	70.24	70.24
2.	संभागीय परिवहन अधि. बरेली	18	नवम्बर 2004 से फरवरी 2005	–	17.10	17.10
3.	संभागीय परिवहन अधि. फैजाबाद	48	अप्रैल 2004 से जनवरी 2005	–	48.95	48.95
4	संभागीय परिवहन अधि. वाराणसी	04	जनवरी 2005 से जनवरी 2006	3.07	4.90	1.83
5	संभागीय परिवहन अधि. लखनऊ	183	अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2006	–	237.74	237.74
6	संभागीय परिवहन अधि. गोरखपुर	16	जून 2002 से अक्टूबर 2006	4.02	19.50	15.48
7.	संभागीय परिवहन अधि. चन्दौली	06	अप्रैल 2005 से जून 2006	3.27	5.63	2.36
	योग	332		10.36	404.06	393.70

प्रकरण विभाग एवं शासन को सितम्बर 2005 से जनवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नही हुये हैं (अगस्त 2007)।

3.5 अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण के कारण राजस्व क्षति

उ0प्र0मो0वा0करा0 अधिनियम के चतुर्थ अनुसूची की धारा 6 के अन्तर्गत 1 नवम्बर 2002 तक 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के मार्गों पर 9,000 कि0मी0 तक चार सोपानों में मंजिली गाड़ियों पर अतिरिक्त कर लागू था। 2 नवम्बर, 2002 से चारों सोपानों को एक सोपान में मिला दिया गया और 9,000 कि0मी0 तक 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के मार्गों पर अतिरिक्त कर की दर क्रमशः 376 रूपये एवं 393 रूपये प्रतिसीट प्रति तिमाही देय था। पुनः 'ए' श्रेणी के मार्गों पर 9,001 कि0मी0 से 11,700 कि0मी0 और 11,701 कि0मी0 से 14,400 कि0मी0 तक के लिये अतिरिक्त कर क्रमशः 458 रूपये तथा 565 रूपये प्रतिसीट प्रति तिमाही देय था।

परिवहन विभाग के तीन कार्यालयों के अभिलेखों की अप्रैल 2005 से जून 2006 के मध्य लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2004 से मार्च 2006 के मध्य की अवधि के दौरान 'ए' और 'बी'' श्रेणी के मार्गों पर 641 वाहन संचालित थे। अतिरिक्त कर का आरोपण 2 नवम्बर 2002 से संशोधित दर की बजाय 1 नवम्बर 2002 तक लागू सोपान दर के अनुसार किया गया । परिणामस्वरूप 2.17 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर कम आरोपित किया गया जैसा कि निम्नवत् दर्शाया गया है :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	अवधि	आरोपणीय अतिरिक्त कर	आरोपित अतिरिक्त कर	कम अरोपित कर
1	संभागीय परिवहन अधि0 वाराणसी	25	1 तिमाही 2माह से 6 तिमाही तक	26.61	6.22	20.39
2	संभागीय परिवहन अधि0, अलीगढ़	578	5 तिमाही और 2 माह	657.82	473.49	184.33
3	सहायक संभागीय परिवहन अधि0 ज्योतिबा फूले नगर	38	3तिमाही से 4तिमाही और 2 माह तक	35.49	23.29	12.20
	योग	641		719.92	503.00	216.92

प्रकरण विभाग एवं शासन को सितम्बर 2005 और जून 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

अध्याय–4
अन्य कर प्राप्तियाँ

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान लेखा परीक्षा में सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 310 मामलों में 57 करोड रूपये[1] न/कम वसूली या राजस्व हानि का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रूपये में)

क0सं.	श्रेणियाँ	मामलो की संख्या	धनराशि
	भू–राजस्व		
1	**"सरकारी भूमि का आवंटन/अनधिकृत कब्जा" (एक समीक्षा)**	1	47.93
2	संग्रह प्रभारों की वसूली न किया जाना	11	0.07
3	वितरित किसान वहियों की फीस की वसूली न किया जाना	2	0.01
4	अन्य अनियमिततायें	55	0.18
	योग	**69**	**48.19**
	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस		
1.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	81	3.27
2	सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	113	3.01
3.	बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क का कम जमा होना	11	0.01
4.	अन्य अनियमिततायें	28	0.79
	योग	**233**	**7.08**
	मनोरंजन कर		
1.	उपभोग न की गयी रख–रखाव प्रभार की धनराशि की वसूली न होना	7	0.08
	योग	**7**	**0.08**
	बाट एवं माप		
1	अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से राजस्व क्षति	1	1.65
	योग	**1**	**1.65**
	महायोग	**310**	**57.00**

"सरकारी भूमि का आवंटन/अनधिकृत कब्जा" पर की गई समीक्षा जिसमें 47.93 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित था और कुछ निदर्शी मामले जिसमें 1.49 करोड़ रूपये सन्निहित था को अनुवर्ती प्रस्तरों में दर्शाया गया है।

[1] सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वीकार की गई एवं वसूल की गई धनराशि शून्य है।

भू–राजस्व

4.2 सरकारी भूमि का आवंटन /अनधिकृत कब्जा

मुख्य अंश

- राजकीय आस्थान की भूमि का विक्रय/नीलामी द्वारा निस्तारण हेतु पद्धति/प्रकिया के अभाव में भूमि की कीमत के रूप में 433.24 करोड़ रुपये राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 4.2.6.1)

- स्वीकार किये गये पट्टा की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के अभाव में सरकार को 142.18 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क 14.22 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.6.2)

- नजूल भूमि के निस्तारण हेतु समयबद्ध योजना के अभाव में विकय द्वारा निस्तारण नहीं हुआ। नजूल भूमि के स्वीकृत पट्टों की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के रख–रखाव के अभाव में पट्टा समाप्ति के पश्चात् वापस नहीं लिया गया। राजस्व क्षति 2,074.72 करोड़ रुपये रही।

(प्रस्तर 4.2.6.3)

- नजूल/राजकीय आस्थान की भूमि के अनधिकृत कब्जों को विनियमितीकरण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा के अभाव में सरकार को 1,763.64 करोड़ रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.7)

- विकास प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग की गयी सीलिंग भूमि की कीमत भुगतान न किये जाने से सरकार को 251.91 करोड़ रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.9.3)

- भूमि के अवमूल्यन के फलस्वरूप भूमि की कीमत 25.56 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क 2.04 करोड़ रुपये कम आरोपित किया गया।

(प्रस्तर 4.2.10.1)

4.2.1 प्रस्तावना

संविधान की द्वितीय सूची के सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 18 द्वारा राज्य सरकार को भूमि पर विधायी शक्ति प्रदत्त की गयी है यथा भूमि पर अधिकार, भूधृति, किराया संग्रह, कृषि भूमि के अन्तरण एवं परिवर्तन, भूमि उन्नयन इत्यादि।

सरकारी भूमि वह भूमि होती है जो राज्य सरकार में निहित होती है। इसमें नजूल भूमि[1] राजकीय आस्थान[2] की भूमि व सीलिंग[3] द्वारा अधिग्रहीत भूमि सम्मिलित होती है। राज्य सरकार को अपने कब्जे की भूमि को पट्टे अथवा विकय, जैसा भी प्रकरण हो, द्वारा निस्तारित करने का अधिकार है। भू–राजस्व प्राप्तियों में भू–राजस्व/कर, भूमि पर दर एवं उपकर तथा अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित होती हैं। सरकारी भूमि से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ राज्य के समेकित निधि में जमा होती हैं।

सरकारी भूमि का रख–रखाव एवं प्रबन्धन तथा सम्बन्धित गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश नजूल मैनुअल, 1949 (जिसे यहाँ नजूल मैनुअल कहा गया है), सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन (संशोधन) नियमावली, 2003, उत्तर प्रदेश शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा शासित होती हैं।

---

[1] यह भूमि जमींदारों, नवाबों, राजाओं आदि से जब्त की गयी होती है। इसे न तो अधिग्रहीत किया गया न ही इसकी कीमत का भुगतान किया गया।

[2] सम्पत्ति जो राजस्व परिषद के प्रबन्धन एवं प्रशासन के अन्तर्गत है राजकीय आस्थान की भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।

[3] सीलिंग के माध्यम से प्राप्त की गयी भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसे शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया है।

सरकारी भूमि का आवंटन एवं कब्जा के सम्बन्ध में भू–राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर एक समीक्षा सम्पादित की गयी जिससे व्यवस्था एवं अनुपालन में कमियॉ परिलक्षित हुई जिनका उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

4.2.2 संगठनात्मक ढॉचा

राज्य स्तर पर सरकारी भूमि के मुख्य प्रशासक प्रमुख सचिव आवास, उत्तर प्रदेश हैं। अध्यक्ष, राजस्व परिषद (बी0 ओ0 आर0) सरकारी भूमि के सम्पूर्ण प्रभारी एवं सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) सरकारी भूमि के प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। उसकी सहायता प्रभारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा की जाती है।

4.2.3 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति

सरकारी भूमि के आवंटन/अनधिकृत कब्जा के प्रणाली की दक्षता की समीक्षा जुलाई 2006 से मार्च 2007 तक सम्पादित की गयी। इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में से 22[1] जनपदों के अपर जिलाधिकरी, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/विकास प्राधिकरण एवं उपनिबन्धकों के वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी।

4.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा इस अभिप्राय से सम्पादित की गयी:

- सरकारी भूमि (नजूल भूमि, राजकीय आस्थान की भूमि एवं सीलिंग द्वारा अधिग्रहीत भूमि) के पट्टा एवं अन्यथा आवंटन की प्रणाली की दक्षता एवं प्रभाव का आकलन करना।
- सरकारी भूमि का अनधिकृत कब्जा के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी वेदखल करने की प्रकिया की दक्षता एवं प्रभाव का आकलन करना।
- सरकारी भूमि के कीमत की उचित वसूली सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिष्ठापित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के प्रभाव का आकलन करना।

4.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा में आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के भू–राजस्व विभाग के सहयोग को भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग स्वीकार करता है। विभाग एवं सरकार को आलेख समीक्षा प्रतिवेदन जून 2007 में अग्रसारित किया गया एवं अगस्त 2007 में सम्पन्न हुई लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया। विशेष सचिव (आवास) सरकार के प्रतिनिधि जबकि अतिरिक्त आयुक्त (बी0 ओ0 आर0) विभाग के प्रतिनिधि रहे।

विभाग एवं सरकार के दृष्टिकोण प्रासंगिक प्रस्तरों में सम्मिलित किये गये हैं।

लेखा परीक्षा उपलब्धियां

व्यवस्था में कमियॉ

4.2.6 सरकारी भूमि का प्रबन्धन

4.2.6.1 राजकीय आस्थान की भूमि का अनिस्तारण

सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन (संशोधन) नियमावली के प्रावधानों एवं इन नियमों के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश जनवरी 2003 के अन्तर्गत पूर्णतया रिक्त एवं पूर्व में किराये पर न उठायी गयी राजकीय आस्थान की भूमि, सरकार के उपयोग हेतु 40 प्रतिशत भूमि को आरक्षित करने के पश्चात् का निस्तारण विकय/नीलामी के द्वारा 31 मार्च 2004 तक या पूर्व कर लिया जाना अपेक्षित रहा। **लेखा परीक्षा में देखा गया कि विकास प्राधिकरण या अन्य किसी को विकय/लोक नीलामी/ आवंटन द्वारा भूमि निस्तारण हेतु सरकार द्वारा कोई प्रणाली/प्रकिया निर्धारित नहीं किया**

---

[1] आगरा, इलाहाबाद, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सीतापुर, एवं वाराणसी ।

गया। किसी प्रणाली/प्रकिया के अभाव में आदेशों को लागू नहीं किया जा सका एवं अनेक जनपदों में भूमि अनिस्तारित पड़ी रही।

चार जनपदों[1] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि इन जनपदों में जनवरी 2003 में कुल 95.77 लाख वर्ग मीटर (वर्ग मी.) राजकीय आस्थान की भूमि उपलब्ध रही। सरकार के उपयोग हेतु (कुल राजकीय आस्थान की भूमि का 40 प्रतिशत) 38.74 लाख वर्ग मी. भूमि को आरक्षित करके, 57.03 लाख वर्ग मी. भूमि को निश्चित समय (31 मार्च 2004) के अन्दर विक्रय/नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना अपेक्षित रहा। जबकि विभाग द्वारा भूमि निस्तारण की कोई कार्यवाही अब तक (जुलाई 2007) प्रारम्भ नहीं की गयी। जिससे सरकार को भूमि की कीमत के रूप में 433.24 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामलों को इंगित किये जाने के बाद विभाग/सरकार ने स्वीकार किया (अगस्त 2007) कि इन मामलों में निर्दिष्ट समय का अनुपालन नहीं किया गया।

सरकार खाली भूमि को विकय/नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु प्रणाली/प्रकिया बनाये जाने पर विचार कर सकती है जिससे कि ऐसी भूमि से अवरूद्ध राजस्व प्राप्त हो एवं इसे अवैध कब्जे से सुरक्षित रखा जा सके।

4.2.6.2 पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात राजकीय आस्थान की भूमि को विनियमित न किया जाना

सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन (संशोधन) नियमावली, के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार राजकीय आस्थान की भूमि को संक्रमणीय अथवा असंक्रमणीय अधिकार वाले पट्टे पर किसी को भी दे सकती है। भवन के प्रयोजन हेतु संक्रमणीय पट्टा जहाँ कि पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत जमा करने पर विनियमित किया जा सकता है। **लेखा परीक्षा में देखा गया कि स्वीकृत पट्टा के सम्बन्ध में कोई तथ्यपरक आधार (डाटाबेस) नहीं बनाया गया।**

चार जनपदों[2] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 954 प्रकरणों में भवन प्रयोजन हेतु 10.60 लाख वर्ग मी. पट्टागत भूमि की अवधि मार्च 1938 से जून 2002 के मध्य समाप्त हो गयी थी। वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत जमा करके किसी भी व्यक्ति द्वारा पट्टा को विनियमित नहीं कराया गया। इनमें से 5,205 वर्ग मी0 भूमि के पट्टा के केवल चार प्रकरण मार्च 2001 के पश्चात् समाप्त हुए थे। **इस प्रकार, स्वीकृत पट्टा की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार न बनाये जाने के अभाव में, सरकार को 142.18 करोड़ रुपये राजस्व एवं स्टाम्प शुल्क 14.22 करोड़ रूपये से वंचित होना पड़ा।** इसमें से कमशः भूमि की कीमत एवं स्टाम्प शुल्क के 1.30 करोड़ रुपये एवं 13 लाख रुपये उन पट्टों से सम्बन्धित रहे जो 2001 के पश्चात् समाप्त हुए थे।

4.2.6.3 नजूल भूमि का निस्तारण न किया जाना

नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत नजूल भूमि को केवल पट्टा पर दिया जा सकता है। नजूल मैनुअल के नियम 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, नजूल भूमि हेतु पट्टा की अवधि सामान्यतः प्रथम बार में 30 वर्ष से कम की न होगी एवं प्रत्येक दशा में बाद की अवधियों की समाप्ति पर उनके नवीनीकरण का उपबन्ध रहेगा जो अधिक से अधिक 90 वर्ष की अवधि तक के लिये ही हो सकेगा। किसी भी शर्त पर किसी नजूल भूमि को शाश्वतता के लिये पट्टे पर उठाये जाने का निषेध है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट अवधि हेतु पट्टा पर दी गयी नजूल भूमि, जैसे ही उसका पट्टा समाप्त हो, निष्क्रिमित कराना अपेक्षित है। नई नजूल नीति, 1998 के समावेश के साथ, नजूल भूमि विक्रय द्वारा निस्तारित की जा सकती है। यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित होता है, भूमि की कीमत बाजार दर पर एवं स्टाम्प शुल्क हस्तान्तरण विलेख की भाँति वसूला जायेगा।

[1] फैजाबाद, मथुरा, रामपुर, एवं सीतापुर।

[2] आगरा, बुलन्दशहर, मथुरा एवं रायबरेली।

• अनधिकृत कब्जा की भूमि को विनियमित करने के दिशा–निर्देश नीति में दिये गये हैं किन्तु सरकार की अभिरक्षा में नजूल भूमि को निस्तारित करने के लिए समय सीमा/प्रकिया नीति में अथवा किसी अनुवर्ती शासनादेश में निहित नहीं है।

चार जनपदों[1] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 47.86 लाख वर्ग मी. नजूल भूमि का निस्तारण नही किया गया। **भूमि का आवंटन प्रारम्भ न करने में विभाग की ओर से चूक के कारण सरकार को भूमि की कीमत के रूप में 617.26 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा जिसे नजूल नीति के प्रावधानों के अनुसार वसूला जा सकता था।**

• लेखा परीक्षा में देखा गया कि मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण अथवा पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात् भूमि के कब्जे को वापस लेने हेतु सरकार/विभाग ने कोई प्रकिया विहित नहीं किया जिससे कि अनधिकृत कब्जे निरन्तर होते रहे। दण्डात्मक विधान एवं सक्षम प्राधिकारियों के भूमि पर नियन्त्रण बनाये रखने के उत्तरदायित्व को नजूल मैनुअल में निर्दिष्ट नहीं किया गया। स्वीकृत पट्टा के सम्बन्ध में कोई तथ्यपरक आधार प्रतिपादित नहीं किया गया।

आठ जनपदों[2] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि भवन प्रयोजन हेतु पट्टा धारकों के कब्जे में रही 56.73 लाख वर्ग मी0 नजूल भूमि के 3771 पट्टा प्रकरण मार्च 1939 एवं अक्टूबर 2006 के मध्य समाप्त हो गये थे। इनमें से, 46,000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल की भूमि के 234 पट्टा प्रकरण मार्च 2001 के पश्चात् समाप्त हुए थे। **तथ्यपरक आधार के रख–रखाव के अभाव में भूमि को निष्किमित करने अथवा विकय द्वारा स्वत्वाधिकार वापसी हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।** फलस्वरूप पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात् भूमि पट्टाधारकों के अनधिकृत कब्जा में पड़ी रही। वर्तमान बाजार दर पर आगणित भूमि की कीमत 1,324.97 करोड़ रुपये रही एवं 132.49 करोड़ रुपये स्टाम्प शुल्क भी आरोपणीय रहा। इनमें से, कमशः भूमि की कीमत एवं स्टाम्प शुल्क के 36.93 करोड़ रुपये एवं 3.69 करोड़ रुपये 2001 के पश्चात् समाप्त पट्टों से सम्बन्धित रहे।

निस्तारण हेतु प्रतीक्षित खाली भूमि के आवंटन हेतु सरकार समयबद्ध योजना बनाये जाने पर विचार कर सकती है जिससे कि उसका मूल्य प्राप्त हो एवं इसे अतिकमण से भी सुरक्षित रखा जा सके । दक्ष अनुश्रवण सुलभ कराने के लिए स्वीकृत पट्टों की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के रख–रखाव हेतु उचित प्रणाली भी स्थापित कर सकती है।

4.2.6.4 पट्टा किराया के सरकारी अंश को अनधिकृत रूप से रोका जाना

नजूल मैनुअल के प्रस्तर 76 के अन्तर्गत नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा वसूले गये पट्टा किराया के सकल वार्षिक मॉग के चौथाई भाग को वित्तीय वर्ष के आरम्भ से तीन माह के अन्दर सरकारी कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार ये स्थानीय निकाय भी पट्टा किराया लेखा के रख–रखाव हेतु उत्तरदायी हैं। **लेखा परीक्षा में देखा गया कि सम्बन्धित निकायों से देय राजस्व की देख–रेख करने की विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गयी।**

चार जनपदों[3] के अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक पट्टा किराया मद में 39.15 लाख रुपये नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा वसूला गया किन्तु 9.79 लाख रुपये (सरकार का एक चौथाई अंश) सरकारी लेखे में जमा नहीं किया गया।

पट्टा किराया के सरकारी अंश को समयावधि में जमा न किये जाने वाले प्रकरणों के नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु सरकार को उचित तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

[1] बुलन्दशहर, फैजाबाद, लखनऊ एवं मथुरा ।

[2] बुलन्दशहर, फैजाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर एवं वाराणसी ।

[3] इलाहाबाद, बॉदा, झांसी एवं सहारनपुर ।

4.2.7 सरकारी भूमि का विनियमन

4.2.7.1 अनधिकृत कब्जों को विनियमित न किया जाना

सरकार ने आदेश दिनॉक 1 दिसम्बर 1998 के द्वारा निर्णय लिया कि नजूल भूमि के किसी अनधिकृत कब्जे को (1 जनवरी 1992 के पूर्व) आवासीय एवं व्यावसायिक हेतु वर्तमान सर्किल दर का क्रमशः 120 एवं 200 प्रतिशत अनधिकृत कब्जेदारों से वसूल करके विनियमित किया जायेगा। **लेखा परीक्षा में देखा गया कि न सरकार और न ही विभाग ने भूमि के अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने एवं अवैध कब्जेदारों से देय धनराशि वसूले जाने हेतु नियत समय निर्धारित किया।**

चार जनपदों[1] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 1,283 प्रकरणों में 4.46 लाख वर्ग मी0 नजूल भूमि अनधिकृत कब्जेदारों के कब्जे में रही। **नियत समय निर्धारित न होने के कारण सरकार के निर्णय के अनुसार अवैध कब्जेदारों के कब्जे वाली भूमि को विनियमित किये जाने की कोई कार्यवाही अब तक (मई 2007) नहीं की गयी ।** इस प्रकार, भूमि की कीमत 59.97 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में 6 करोड़ रूपये के राजस्व से सरकार को वंचित होना पड़ा।

सरकार नियमों के परिधि में भूमि को रिक्त कराने या इसे विनियमित करने हेतु निर्दिष्ट समय संरचना पर विचार कर सकती है ।

4.2.7.2 राजकीय आस्थान की भूमि का अनधिकृत कब्जा

सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन (संशोधन) नियमावली, के नियम 6 (क) के प्रावधानों के अनुसार अनधिकृत कब्जेवाली भूमि को, संक्रमणीय अधिकार वाले पट्टा के माध्यम से वर्तमान बाजार दर पर आधारित भूमि की कीमत का 100 प्रतिशत जमा करने पर, विनियमित किया जा सकता है। सरकार के जनवरी 2003 के निर्देशों के अनुसार, 1992 के बाद के अनधिकृत कब्जों के प्रकरणों को जिला प्रशासन द्वारा रिक्त कराया जाना अपेक्षित था। **लेखा परीक्षा में देखा गया कि न सरकार और न ही विभाग ने अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने एवं अनधिकृत कब्जेदारों से देय धनराशि की वसूली के लिए कोई नियत समय निर्धारित किया।**

13 जनपदों[2] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 170.80 लाख वर्ग मी0 नजूल भूमि 21,289 व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में थी किन्तु विभाग द्वारा उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार भूमि को विनियमित करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। सकल अनधिकृत कब्जे में से जनपद रायबरेली में 34,720 वर्ग मी0 के 213 प्रकरण 1992 के पश्चात् अवधि के रहे किन्तु सरकार के जनवरी 2003 के निर्देशो के अनुसार अनधिकृत कब्जों को रिक्त कराने की कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी। इस प्रकार, सरकार को भूमि की कीमत 1,543.34 करोड़ रुपये एवं स्टाम्प शुल्क 154.33 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

सरकार नियमों की परिधि में भूमि को रिक्त कराने या इसे विनियमित करने हेतु निर्दिष्ट समय संरचना पर विचार कर सकती है।

अनुपालन में कमियॉ

4.2.8 अनधिकृत कब्जा का निष्कमण करना

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत निर्गत शासकीय विज्ञप्ति[3] दिनॉक 11 दिसम्बर 1996 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि को नजूल भूमि की भॉति प्रबन्धन हेतु विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित रहा। ऐसे प्रकरण में जहां कोई अनधिकृत कब्जा का पता चले विकास प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से उसे रिक्त कराया जायेगा।

---

[1] मथुरा, रायबरेली, रामपुर एवं सीतापुर।

[2] आगरा, इलाहाबाद, बिजनौर, बांदा, गोरखपुर, जौनपुर, झॉसी, कानपुर, मथुरा, मेरठ, रायबरेली, रामपुर एवं सीतापुर।

[3] सं0 2893/9–न0भू0–96–109 यू0सी0/81दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 ।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 12.26 लाख वर्ग मी0 सीलिंग भूमि विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी थी। जिसमें से 99,975 वर्ग मी0 भूमि विकास प्राधिकरण के कब्जे में नहीं रही तथा अवैध कब्जेदारों के हाथों में चली गयी थी। नौ प्रकरणों में राजस्व अभिलेखों में स्वत्वाधिकार के सत्यापन से विदित हुआ कि यद्यपि भूमि अर्जित की गयी थी किन्तु अभी तक भूमिधरों के नाम ही अभिलिखित रही। इस अनियमितता के कारण, भूमिधरों के नाम अभिलिखित सरकारी भूमि को भूमिधरों के विवेक पर विक्रय विलेख, मुख्तारनामा इत्यादि के माध्यम से हस्तान्तरित की जा सकती है। विकास प्राधिकरण द्वारा 22.61 करोड़ रूपये की भूमि को रिक्त कराने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

4.2.9 पट्टा के माध्यम से सरकारी भूमि का आवंटन

4.2.9.1 पट्टागत भूमि का उपयोग नियत प्रयोजनों से इतर किया जाना

नजूल मैनुअल के नियम 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 18 या 19 के अधीन रियायती दर पर किया जाने वाला नजूल भूमि का प्रत्येक पट्टा या विक्रय इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी भूमि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर, उस प्रयोजन के लिये न किया जाए जिसके लिये वह पट्टे पर दी गयी हो, या जिसके लिए उसका विक्रय किया गया था तो राज्य सरकार को उक्त पट्टे या विक्रय का निरसन करने और उसके कब्जे का पुनःग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 1980 से 1986 की अवधि के दौरान निर्बल वर्ग के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु नजूल भूमि रकबा 1.12 लाख वर्ग मी0 मथुरा विकास प्राधिकरण को पट्टे पर आवंटित की गयी किन्तु निर्बल वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय पट्टागत भूमि का दुरूपयोग भूमि को वर्ष 1992 में पुनः पट्टे पर उठाकर किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 1999–2000 में नोटिस निर्गत किया गया किन्तु नजूल मैनुअल के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित पट्टे को निरस्त करके भूमि को रिक्त कराने तथा भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही करने में विभाग विफल रहा। इस प्रकार, भूमि की कीमत 19 करोड़ रुपये तथा स्टाम्प शुल्क 1.90 करोड़ रुपये के राजस्व से सरकार को वंचित होना पड़ा।

4.2.9.2 पट्टा विलेख निष्पादन न करने के कारण स्टाम्प शुल्क की क्षति

नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि नजूल भूमि का हस्तांतरण विक्रय अथवा पट्टा इत्यादि के माध्यम से किया जाता है तो विलेख का निष्पादन अपेक्षित है तथा स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हस्तान्तरण विलेख की भॉति होगी जैसा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में विहित है। शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत निर्गत फरवरी 1984 की विज्ञप्ति[1] के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहीत भूमि जिसे किसी संगठन या संस्था को शाश्वत पट्टा पर आवंटित किया गया है, का पंजीयन पट्टाधारक के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादन द्वारा किया जाता है। पट्टा विलेख में दर्शायी गयी प्रतिफल राशि पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस भी प्रभार्य है।

- कार्यालय जिलाधिकारी, झॉसी के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 4,878 वर्ग मी0 नजूल भूमि 36.32 लाख रुपये की प्रतिफल राशि पर जनवरी 2003 में पट्टा पर दी गयी किन्तु कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस 3.68 लाख रुपये की क्षति हुई।
- 3 जनपदों[2] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 1.63 लाख वर्ग मी0 सीलिंग भूमि अक्टूबर 1987 एवं जुलाई 2000 के मध्य विभिन्न संगठनों या संस्थाओं को पट्टा पर दी गयी थी। इन प्रकरणों में पट्टा दाता द्वारा अब तक (मई 2007) कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया। इससे सरकार

[1] सं0 559/उनचास–109 यू0सी0/81 दिनांक 27 फरवरी 1984।

[2] इलाहाबाद, लखनऊ एवं मेरठ।

को स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में प्रभार्य 15.60 लाख रूपये से वंचित होना पड़ा।

इस प्रकार, प्रतिफल राशि की वसूली नहीं हो पायी एवं 6 से 24 वर्षो के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को हस्तांतरित भूमि का पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

4.2.9.3 विकास प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों द्वारा उपयोग की गयी सीलिंग भूमि की कीमत भुगतान न करने से राजस्व की क्षति

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत शासकीय विज्ञप्ति[1] फरवरी 1984 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहीत एवं किसी संगठन/संस्था को आवंटित भूमि का मूल्य संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर पर आवंटी द्वारा किया जाना अपेक्षित था जिस पर स्टाम्प शुल्क भी प्रभार्य था। भुगतान न किये जाने की स्थिति में, देयों की वसूली हेतु, उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम,1972 (राजस्व वसूली अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना था।

- तीन जनपदों[2] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 3.76 लाख वर्ग मी0 सीलिंग भूमि विभिन्न संगठनों को 1985 से 2004 के मध्य आवंटित की गयी। भूमि की कुल कीमत 10.78 करोड़ रूपये में से 13 लाख रूपये अब तक इन संगठनों द्वारा सरकार को भुगतान किया गया। फलस्वरूप 10.65 करोड़ रूपये देयों तथा स्टाम्प शुल्क 22 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।
- आठ जनपदों[3] के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि 37.05 लाख वर्ग मी0 सीलिंग भूमि आठ विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विभिन्न योजनाओं में 1985 से 2006 के मध्य प्रयुक्त की गयी। भूमि की कीमत 219.82 करोड़ रुपये के विरूद्ध 76 लाख रुपये प्राधिकरण द्वारा सरकार को भुगतान किया गया। इन संगठनों के 31 मार्च 2005/2006 के वार्षिक अभिलेखों की जॉच में विदित हुआ कि उनके द्वारा अनिस्तारित देयों हेतु उनके लेखो में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। राजस्व वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा भी वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। परिणामस्वरूप 219.06 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त, भूमि की कीमत पर 21.98 करोड़ रूपये स्टाम्प शुल्क भी प्रभार्य था ।

4.2.10 विक्रय के माध्यम से सरकारी भूमि का आवंटन

4.2.10.1 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

सरकार ने अपनी विज्ञप्ति[4] दिनॉक 11 अगस्त 2004 के द्वारा मैसर्स रिलायन्स एनर्जी जनरेशन लि0 (रिलायन्स) को विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु जनपद गाजियाबाद में भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जिसमें ऐसी भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वासन व्यय सहित भूमि की लागत का 40 प्रतिशत रिलायन्स द्वारा भुगतान एवं शेष कीमत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क के भुगतान का दायित्व 40:60 की आनुपातिक दर से रिलायन्स एवं सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

उपनिबन्धक, हापुड़ के राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ कि सरकार द्वारा तहसील हापुड़ के विभिन्न क्षेत्रों (ग्रामों) की 850 हेक्टेयर भूमि 150 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अधिग्रहीत किया गया। अधिग्रहण की सम्पूर्ण लागत 152.50 करोड़

[1] सं0 559/उनचास–109 यू0सी0/81 दिनांक 27 फरवरी 1984 ।

[2] लखनऊ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर ।

[3] इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी ।

[4] सं0 1329/1–13–2004–20 (7)/2004 रा0 –13 दिनांक 11 अगस्त 2004 ।

रुपये रही एवं इस मालियत को रिलायन्स के साथ सम्व्यवहार हेतु नियत किया गया यद्यपि कलेक्टर द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल दर जो 165 रुपये एवं 360 रूपये प्रतिवर्ग गज के मध्य रही, के अनुसार भूमि कीमत 216.40 करोड़ रूपये आगणित हुई थी। भूमि रिलायन्स को विक्रय विलेख के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी जिसने 61 करोड़ रूपये भूमि की अधिग्रहण कीमत का 40 प्रतिशत सरकारी लेखे में जमा किया। यह धनराशि 25.56 करोड़ रूपये कम रही यदि भूमि की कीमत वर्तमान सर्किल दर के आधार पर आगणित की जाती तो कम्पनी उसे भुगतान करती। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल दर पर आधारित भूमि की कीमत पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है। संव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान इस प्रकार 17.31 करोड़ रूपये होना चाहिए था। इसमें से 40 प्रतिशत भुगतान किये गये 4.88 करोड़ रूपये के बजाए 6.92 करोड़ रूपये रिलायन्स का अंश आगणित होता था। परिणामस्वरूप 2.04 करोड़ रूपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

4.2.10.2 भूमि की कीमत न वसूल किया जाना

शासनादेश (जी० ओ०) दिनॉक 29 अगस्त 1979 के अनुसार सिंचाई विभाग, कानपुर नगर में 3.71 करोड़ रुपये कीमत की 1.24 लाख वर्ग मी० भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण (के० डी० ए०) को इस प्रावधान के साथ हस्तान्तरित की गयी कि के० डी० ए० को भूमि के हस्तान्तरण के समय भूमि की कीमत का भुगतान सिंचाई विभाग को नहीं करना है अपितु इसे ब्याज रहित ऋण के रूप में माना जायेगा। सरकार द्वारा ऋण के वसूली की शर्त एवं स्थिति को पृथक रूप से अंतिम रूप दिया जाना था।

लघु गंगा नहर प्रखण्ड, कानपुर के अभिलेखों की नमूना जॉच से विदित हुआ कि 27 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी ऋण की वसूली हेतु शर्त एवं स्थिति को सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया। विभाग द्वारा प्रकरण को सरकार के साथ अनुसरण नहीं किया गया फलस्वरूप 3.71 करोड़ रुपये बिना वसूली के रह गये।

4.2.11 निष्कर्ष

भूमि किसी भी सरकार की एक अति महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है जिसके दुरूपयोग से शीर्ष स्तर पर क्षति होती है। सरकार के पास रिक्त सरकारी भूमि को निस्तारित एवं विनियमित करने हेतु विभिन्न अधिनियमों का प्रावधान है।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि राजकीय आस्थान की भूमि/नजूल भूमि के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली/प्रक्रिया को निर्धारित नहीं किया गया जिससे भूमि की कीमत अवरुद्ध हुई और उसका अतिक्रमण हुआ। कोई तथ्यपरक आधार नहीं बनाने के कारण सरकारी भूमि के पट्टों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण नहीं किया गया तथा तथ्यपरक आधार के अभाव में पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात् भूमि को वापस न लेने के फलस्वरूप सरकार को सारभूत राजस्व से वंचित होना पड़ा। यद्यपि भूमि की कीमत वसूल करके अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने हेतु अधिनियम में व्यवस्था है फिर भी, उनके विनियमित किये जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। फलतः अनधिकृत कब्जे अनवरत होते रहे। इस प्रकार सरकारी भूमि का कुप्रबंधन रहा जिसके कारण न केवल राजस्व के जीवन्त स्रोत का ही प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सका अपितु उस पर अतिक्रमण भी बना रहा।

4.2.12 संस्तुतियों का सारांश

सरकार विचार कर सकती है :

- खाली भूमि को विक्रय/नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु प्रणाली/प्रक्रिया बना सकती है जिससे ऐसी भूमि से अवरूद्ध राजस्व प्राप्त हो एवं इसे अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जाए।
- निस्तारण हेतु प्रतीक्षित खाली भूमि के आवंटन हेतु समयबद्ध योजना बनाये जिससे कि अवरूद्ध मूल्य प्राप्त हो एवं इसे अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। दक्ष अनुश्रवण सुलभ करने के लिए स्वीकृत पट्टा की प्रास्थिति पर तथ्यपरक आधार के रख–रखाव हेतु उचित प्रणाली भी स्थापित कर सकती है।
- समयावधि में पट्टा किराया के सरकारी अंश जमा न करने के प्रकरणों को नियमित एवं प्रभावी ढंग से अनुश्रवण हेतु एक उचित तंत्र स्थापित कर सकती है; एवं
- भूमि को रिक्त कराने या इसे नियम की परिधि में विनियमित करने हेतु समय सीमा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

4.3 सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्याकंन) नियमावली, 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति की बाजार दरें, पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0), उत्तर प्रदेश के जून 2003 के निर्देशानुसार किसी सम्पत्ति की बिक्री विभिन्न प्रयोजनों हेतु, एक से अधिक भाग में विभाजित कर नहीं किया जा सकता जैसे कि एक भाग कृषि हेतु तथा दूसरा भाग कृषि इतर हेतु।

4.3.1 उपनिबन्धक II आगरा के अभिलेखों की नमूना जॉच (अगस्त 2006) में विदित हुआ कि लखनपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित 6,983 वर्ग मीटर के भूखन्ड की बिक्री, दो हस्तान्तरण विलेखों द्वारा, जिसका निबन्धन जून 2005 में हुआ, की गई। स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के आरोपण हेतु 1983 वर्ग मी0 भूखण्ड का मूल्याकंन आवासीय दर से तथा शेष भूखण्ड 5,000 वर्ग मी0 का कृषि दर से मूल्याकंन किया गया, जबकि 2003, के निर्देशानुसार, पूरी सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिये था। इस प्रकार, सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण, शासन स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के 24 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा।

4.3.2 उपनिबन्धक I लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जॉच (अक्टूबर 2005) में विदित हुआ कि 4 ए पार्क रोड, लखनऊ पर स्थित एक सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख का निबन्धन दिसम्बर 2004 में किया गया। स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु इसका मूल्याकंन वाणिज्यिक दर 12,000 रूपये प्रति वर्ग मी0 से किया गया जबकि एक दूसरे हस्तान्तरण विलेख में, एक होटल कम्पनी द्वारा खरीदे गये 5 ए पार्क रोड, लखनऊ पर स्थित सम्पत्ति का मूल्यांकन 2003, के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वाणिज्यिक दर के बजाय 6,000 रुपये प्रति वर्ग मी0 आवासीय दर पर किया गया । इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के रूप में 3.68 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

4.3.3 उपनिबन्धक IV आगरा के अभिलेखों की नमूना जॉच (अप्रैल 2005) में विदित हुआ कि धनौली में 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित 352.83 वर्ग मी0 के भूखण्ड की बिक्री के विलेखपत्र का निबन्धन फरवरी 2005 में किया गया। स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु इसका मूल्यांकन 800 रूपये प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर 3,000 रूपये प्रति वर्ग मी0 थी। इस प्रकार, सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण शासन को स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस 78,000 रूपये की क्षति हुई ।

प्रकरण विभाग और शासन को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2007)।

4.4 विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई0एस0एक्ट) के अनुच्छेद 48 (ङङ) (अनुसूची 1 ख) (दिनांक 1.11.1991 से उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत जब मुख्तार को अचल सम्पत्ति विक्रय करने का अखण्डनीय अधिकार दिया जाता है तो ऐसे अधिकार वाली संपत्ति की विषयवस्तु के बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी (उ0प्र0) ने यह माना[1] है कि यदि सम्पत्ति में अभिकर्ता के हित स्पष्टतया सृजित हुए हैं तो विलेख पर अनुच्छेद 48 (ङङ) के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

दो उपनिबन्धक (उ0नि0) कार्यालयों के अभिलेखों की, अक्टूबर 2005 और जुलाई 2006 के मध्य नमूना जॉच में विदित हुआ कि छः प्रकरणों में पंजीकरण मुख्तारनामा का निष्पादन अभिकर्ताओं के पक्ष में किये गये जिसमें सम्पत्ति पर उनके हित स्पष्टतया सृजित हो गये थे । यद्यपि विलेख पर स्टाम्प शुल्क विक्रय विलेख की भॉति आरोपणीय था परन्तु पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा यह प्रभारित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस 25.69 लाख रूपये कम आरोपित किया गया जैसा कि निम्नवत् दर्शाया गया है:

(धनराशि रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या / वर्ष	क्षेत्रफल / स्थित	दर प्रति वर्ग मी0 में	आरोपणीय बाजार मूल्य(दर सूची के अनुसार)	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		कम आरोपण
						आरोपणीय	आरोपित	
1	उप नि. गोण्डा	बही सं.4 खण्ड–23 लेखपत्र सं. 54 / 2005–06	खसरा सं.1104 2670 वर्ग मी0 औरँगाबाद,खालसा लखनऊ	1400	37,38,000	3,78,800	110	3,78,690
		बही सं.4 खण्ड–23 लेखपत्र सं. 55 / 2005–06	खसरा सं. 1160 2600 वर्ग मी0 औरँगाबाद, खालसा	1400	36,40,000	3,69,000	110	3,68,890
		बही सं04 खण्ड–23 लेखपत्र सं. 5 / 2005–06	खसरा सं. 1156 4,340 वर्ग मी0 औरँगाबाद, खालसा	1400	60,76,000	6,12,600	110	6,12,490
		बही सं.4 खण्ड–23 लेखपत्र सं. 6 / 2005–06	खसरा नं. 1159 4380 वर्ग मी0 औरँगाबाद, खालसा	1400	61,32,000	6,18,200	110	6,18,090
		बही सं.4 खण्ड–23 लेखपत्र सं. 4 / 2005–06	भवन सं. 532(बी) / 24 289.172 वर्ग मी0 पाण्डेय टोला, अलीगंज, लखनऊ	3850(भूखण्ड) 4000(निर्माण)	22,70,000	2,32,000	110	2,31,890
2	उप नि. लखनऊ–।	बही सं.4 खण्ड–358 लेखपत्र सं. 73 / 2004–05	खसरा सं. 1579 2530 वर्ग मी0 औरँगाबाद, खालसा लखनऊ	1400	35,42,000	3,59,200	50	3,59,150
					2,53,98,000	**25,69,800**	**600**	**25,69,200**

[1] स्टाम्प रिवीजन नं0 1516 आफ 1993–94 (अनिल कुमार त्रिपाठी बनाम राज्य) ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जनवरी 2006 से सितम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (अगस्तर 2007)।

4.5 पट्टा अवधि की गलत संगणना के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत किसी विलेख में जहाँ पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक या दावामी या कोई निश्चित अवधि हेतु न हो, तो उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण विलेख की भाँति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। म0नि0नि0 ने दिनांक 22 अप्रैल 2003 को स्पष्ट किया, कि लीज की अवधि 30 वर्ष से कम होंने पर अगर अवधि को निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि हेतु आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, तो स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता सम्पत्ति के बाजार मूल्य के प्रतिफल पर देय होगा।

चार उपनिबन्धकों[1] के अभिलेखों की जून 2005 से अगस्त 2006 के मध्य नमूना जॉच में विदित हुआ कि 29 से 30 वर्षों के मध्य की लीज अवधि के चार पट्टा विलेख सितम्बर 2003 से जून 2005 के दौरान निबन्धित किये गये जिनमें स्टाम्प शुल्क 2640 रूपये व निबन्धन फीस 580 रूपये आरोपित किये गये यद्यपि विलेखों के कथन में यह प्रकट हुआ कि पट्टे को आगे बढ़ाने के साथ पट्टाधारकों के मालिकाना हक को भी हस्तान्तरित करने का प्रावधान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पट्टाधारकों को स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के रूप में क्रमशः 10.87 लाख रूपये व 19,000 रूपये प्रचलित बाजार दर पर अदा करना अपेक्षित था। फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस की धनराशि 11.06 लाख रूपये का कम आरोपण किया गया।

प्रकरण विभाग व शासन को अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)।

बाट तथा माप

4.6 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने से राजस्व क्षति

4.6.1 उपयोक्ताओं का पंजीयन/पंजीयन का नवीनीकरण

भारत सरकार के बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 सपठित उ0प्र0 बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 के नियम–10 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो फेरी वाला[2] न हो, किसी भी बाट तथा माप का प्रयोग, किसी सम्व्यवहार, या किसी औद्योगिक उत्पादन या संरक्षण में तब तक नही करेगा जब तक वह इसके लिये निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पंजीयन नहीं करा लेता। वह अपने नाम के पंजीयन के लिए, अनुसूची –1 के प्रपत्र ए में पॉच रुपये के साथ नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे नियंत्रक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, आवेदन करेगा। प्रत्येक ऐसा आवेदन बाट तथा माप का उपयोग प्रारम्भ करने के 90 दिन के अन्दर किया जायेगा । पांच वर्ष बाद पॉच रुपये के भुगतान पर पंजीयन का नवीनीकरण किया जायेगा। इसके पश्चात् नियमावली की अनुसूची–III में निर्धारित प्रपत्र में उपयोक्ता पंजिका भी बनायी जाएगी जिसमें प्रत्येक उपयोक्ता का नाम व पता, व्यवसाय की प्रकृति, उपयोग किए जाने वाले बाट तथा माप का विवरण, पंजीयन तथा नवीनीकरण का दिनांक प्रदर्शित किया जाएगा।

चार संम्भागों के 17 वरिष्ठ निरीक्षक बाट तथा माप कार्यालयों[3] के अभिलेखों की सितम्बर 2006 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य की गयी नमूना जॉच के दौरान तथा

[1] बलरामपुर, चायल, फर्रूखाबाद और सहजनवाँ।

[2] सचल विकेता।

[3] व. निरीक्षक रामबाग, व. नि. मुर्रे कं0,सरोजनी नगर, व. नि. किदवई नगर (कानपुर क्षेत्र) व. नि. लहुरावीर , व. नि. चौकाघाट, व. नि. मुगलसराय, व. नि. मिर्जापुर (वाराणसी क्षेत्र), व. नि. लखनऊ, व. नि. चौक लखनऊ, व. नि. आमबाग, व. नि. इन्दिरानगर , व. नि. मलिहाबाद, व. नि. मोहनलालगंज (लखनऊ क्षेत्र), व. नि. जीवनीमंडी, व. नि. सिविल लाइन्स और व. नि. ईदगाह (आगरा क्षेत्र)

सहायक नियंत्रक (मुख्यालय) उ0प्र0 लखनऊ से एकत्रित सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि पूरे प्रदेश में विभाग द्वारा बाट तथा माप के उपयोक्ताओं का पंजीयन, वर्ष 1985 से नहीं किया गया है। उपयोक्ताओं की संख्या का विवरण, जिनके बाट तथा माप का मुद्रांकन, अवधि 2001–02 से 2005–06 के दौरान प्रयोग के लिए किया गया था तथा जिनके संबंध में न तो पंजीयन/पंजीयन का नवीनीकरण किया गया और न ही कोई शुल्क वसूल किया गया, निम्नवत् है :

(उपयोक्ताओं की संख्या)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वृद्धि (वर्ष के दौरान)	अन्तिम अवशेष
2001–02	7,08,884	14,241	7,23,125
2002–03	7,23,125	61,134	7,84,259
2003–04	7,84,259	64,468	8,48,727
2004–05	8,48,727	57,185	9,05,912
2005–06	9,05,912	21,964	9,27,876

इस प्रकार अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से केवल विगत पांच वर्षो में ही सरकार को 81.83 लाख रुपये के राजस्व, पंजीयन शुल्क के मद में 46.39 लाख[1] और नवीनीकरण शुल्क के मद में 35.44 लाख[2] रुपये, से वंचित होना पड़ा। अगर पूर्व वर्षो का आकलन किया जाए तो यह धनराशि और भी अधिक होगी।

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् मार्च 2007 में विभाग और शासन ने बताया कि उपयोक्ताओं का पंजीयन नही किया गया क्योकि धारा–16 से धारा–18 के सम्बन्धित संशोधन का प्रस्ताव सन् 1994 से विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार नही है क्योंकि पंजीयन से सम्बन्धित सन्दर्भित अधिनियम/नियम आज भी प्रभावी हैं।

4.6.2 उपयोक्ताओं का सत्यापन/पुनर्सत्यापन

बाट तथा माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम सपठित उ0प्र0 बाट तथा मानक (प्रवर्तन) नियमावली, के नियम–14 तथा 15 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, संरक्षण या नियंत्रण में कोई बाट तथा माप[3] जिसका प्रयोग या भावी प्रयोग किसी सम्व्यवहार या औद्योगिक उत्पादन में होना है, ऐसे बाट तथा माप को निरीक्षक के समक्ष सत्यापन या पुनर्सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा तथा निर्धारित फीस के भुगतान पर वर्ष में कम से कम एक बार इसे मुद्रांकित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 47 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आकर्षित होता है जिसे पॉच सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है । पुनः उ0प्र0 बाट तथा माप मानक प्रवर्तन नियमावली के नियम–17 (3) के अन्तर्गत यदि ऐसा बाट तथा माप मुद्रांकन की वैध अवधि की समाप्ति के बाद पुनर्सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो नियमावली की अनुसूची–XII में विनिर्दिष्ट दर का आधा अतिरिक्त शुल्क भी प्रत्येक तिमाही अथवा उसके भाग के लिये देय होगा ।

17 वरिष्ठ निरीक्षक बाट तथा माप कार्यालयों[4] की अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान 164 उपयोक्ताओं के व्यवसायिक स्थलों के निरीक्षण में यह पाया गया कि ये व्यवसायी अपने बाट तथा माप का प्रयोग, सत्यापन की वैधता अवधि एक वर्ष की समाप्ति के बाद बिना इसे सत्यापित कराये, कर रहे थे। यद्यपि उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा–47 के अन्तर्गत प्रशमन किया गया था

[1] (9,27,876X5)

[2] (7,08,884X5)

[3] क्षमता मापने वाले (सग्रहीत करने वाले टेंक, टैंक लारी, माप करने वाले आदि) तौलने वाले ब्रिज तथा इलेक्ट्रानिक तौल मशीन आदि सम्मिलित।

[4] व. नि. रामबाग, व. नि. मुर्रे कं0, व.नि. सरोजनी नगर, व. नि. किदवई नगर (कानपुर क्षेत्र) व. नि. लहुरावीर , व. नि. चौकाघाट, व. नि. मुगलसराय, व. नि. मिर्जापुर (वाराणसी क्षेत्र), व. नि. लखनऊ, व. नि. चौक लखनऊ, व. नि. आलमबाग, व. नि. इन्दिरानगर , व. नि. मलिहाबाद, व. नि. मोहनलालगंज (लखनऊ क्षेत्र), व. नि. जीवनीमंडी, व. नि. सिविल लाइन्स और व. नि. ईदगाह (आगरा क्षेत्र)

लेकिन उपयोक्ताओं द्वारा विभाग से अपने बाट तथा माप का सत्यापन नहीं कराया गया। इसके फलस्वरूप 1.48 लाख रुपये शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग और शासन ने बताया (मार्च 2007) कि उपयोक्ता अभिकरणों द्वारा उपयोग किये गये बाट तथा माप जब्त किये गये और ऐसे मामले प्रशमित भी किये गये लेकिन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं की गयी क्योंकि जब्त किये गये बाट एवं माप उपयोक्ता द्वारा वापस नहीं लिये गये और वे निरीक्षकों के कार्यालयों में पड़े रहे। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि प्रयोग किये गये सभी बाट तथा माप, यथा टैंक वाहन, तौलने वाले ब्रिज तथा इलेक्ट्रानिक मापन मशीन भारी वस्तुएं थीं जिनकी जब्ती सम्भव नहीं थी ।

4.6.3 राजस्व प्राप्तियो का सरकारी लेखे में जमा किया जाना

उ0प्र0 वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–V भाग–1 के प्रस्तर 21 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि समस्त राजस्व जो सरकार को देय हैं शुद्ध तथा उचित रूप से निर्धारित हो तथा बिना अनावश्यक विलम्ब के राजकीय खाते में जमा कर दिया जाए। उ0प्र0 बाट तथा माप प्रवर्तन नियमावली के नियम–18(3) के अन्तर्गत निरीक्षक, उपयोक्ताओं द्वारा देय शुल्क एवं अन्य प्रभार प्राप्त करेंगे तथा रसीद जारी करेंगे तथा इस रसीद की एक प्रति अभिलेख पर रखेंगे । निरीक्षक, निर्धारित प्रारूप में एक पंजिका भी रखेंगे जो दिन प्रतिदिन लिखी जायेगी। निरीक्षक द्वारा सप्ताह के दौरान प्राप्त किया गया भुगतान, राजकीय कोषागार में ऐसे दिनांक/दिन को जमा किया जायेगा जो समय समय पर नियंत्रक बाट तथा माप द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। नियंत्रक बाट एवं माप द्वारा नवम्बर 1977 में जारी निर्देशों के अनुसार सप्ताह के दौरान संग्रहीत कुल राजस्व राजकीय कोषागार में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को जमा हो जाना चाहिए था।

सात वरिष्ठ निरीक्षक कार्यालयों[1] के वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान यह देखा गया कि उपयोक्ताओं से सप्ताह के दौरान प्राप्त राजस्व 80.51 लाख रुपये कोषागार में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को जमा नही किया गया। यह या तो पाक्षिक, मासिक या द्विमासिक जमा किया गया जो वित्तीय नियमों और विभाग द्वारा जारी निर्देशों के प्रतिकूल था। विलम्ब की अवधि एक सप्ताह से दो माह के अन्तराल तक थी ।

मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग एवं शासन ने बताया कि चूक के मामलों में कार्यवाही की जा रही है तथा प्राप्तियों को समय के अन्दर जमा करने के लिए पुनः निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

[1] व.नि. (बा.एवं मा.) मुरे कं. कानपुर, व.नि. (बा. एवं मा.) रामबाग कानपुर, व.नि. (बा. एवं मा.) लखनऊ, व. नि. (बा. एवं मा.) इन्दिरा नगर, लखनऊ, व. नि. (बा. एवं मा.) मोहनलालगंज लखनऊ, व.नि. (वा. एवं मा.) सिविल लाइन्स आगरा, व. नि. (बा. एवं मा.) जीवनीमण्डी, आगरा।

अध्याय–5
अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006–07 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों की नमूना जॉच में 198.79 करोड़[1] रुपये के वसूली न किया जाना/कम वसूली/राजस्व हानि के 147 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते है :

(करोड़ रुपये में)

कम सं.	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
	सिंचाई विभाग		
1.	**सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)**	1	19.96
2.	प्रतिशतता प्रभारों का वसूल न किया जाना	2	1.20
3.	विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	32	0.75
4.	अन्य अनियमिततायें	34	0.50
	योग	**69**	**22.41**
	लोक निर्माण विभाग		
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	15	0.75
2.	प्रतिशतता प्रभारों का वसूल न किया जाना	1	0.02
3.	अन्य अनियमिततायें	39	0.85
	योग	55	1.62
	वित्त विभाग		
1.	अन्य अनियमितायें	23	174.76
	योग	**23**	**174.76**
	महायोग	**147**	**198.79**

"सिंचाई प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण" पर एक समीक्षा जिसमें 19.96 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है और कुछ निदर्शी मामले जिसमें 54.26 लाख रूपये सन्निहित है को अनुवर्ती प्रस्तरों में दर्शाया गया है।

---

[1] संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार की गयी एवं वसूल की गयी धनराशि शून्य है ।

सिंचाई विभाग

5.2 सिंचाई प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य अंश

- सृजित सिंचाई क्षमता के अनुश्रवण की कमी के कारण सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया और परिणामस्वरूप वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 62.94 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

  (प्रस्तर 5.2.7)

- सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी से प्राप्तियों की अनुश्रवण व्यवस्था में कमी के कारण 3.12 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

  (प्रस्तर 5.2.8)

- वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु दिये जाने वाले पानी की मात्रा को मापने की कोई निर्धारित व्यवस्था न होने के कारण 18.78 करोड़ रुपये के जल मूल्य का कम आरोपण हुआ।

  (प्रस्तर 5.2.9)

- जमा निर्माण कार्य पर प्रतिशतता प्रभार न लगाये जाने से 1.18 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई।

  (प्रस्तर 5.2.14)

5.2.1 प्रस्तावना

मुख्य रूप से सिंचाई हेतु और कुछ सीमा तक वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु जल संसाधन के प्रबन्धन का कार्य सिंचाई विभाग को सौपा गया है। सिंचाई प्राप्तियों के अन्तर्गत सिंचाई तथा वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु दिये गये पानी से प्राप्तियां, घास, मछली, पेड़, फलों आदि की बिक्री से विभिन्न प्राप्तियां तथा राज्य में वाणिज्यिक इकाईयों एवं स्थानीय निकायों हेतु जमा निर्माण कार्य पर वसूल किया गया प्रतिशतता प्रभार[1] सम्मिलित है।

सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली एवं क्रिया कलाप, इरिगेशन मैनुअल ऑफ आर्डर्स, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (रिक्यूजिसनिंग ऑफ लैण्ड) नियम 1948, उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948, वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V तथा VI और समय समय पर जारी शासनादेशों के प्रावधानों पर आधारित है।

सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण पर एक समीक्षा तैयार की गयी जिससे व्यवस्था एवं अनुपालन में कमी से सम्बन्धित कई मामले प्रकाश में आये जो आगे के प्रस्तरों मे वर्णित हैं।

5.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सिंचाई एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु दिये जाने वाले पानी के मूल्य का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। प्रमुख सचिव सिंचाई, सिंचाई विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के शीर्ष अधिकारी होते हैं जिनकी सहायता के लिये 26 मुख्य अभियन्ता होते हैं। सिंचाई की सुविधाओं एवं पानी की दरों के निर्धारण पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु राज्य को 115 वृत्तों में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख, अधीक्षण अभियन्ता (अधी.अ.) होते हैं। वृत्तों को पुनः 402[2] प्रखण्डों में विभाजित किया गया है जिसके प्रमुख,

---

[1] सिंचाई विभाग द्वारा वाणिज्यिक विभागों एवं स्थानीय निकायों की ओर से कराये गये वास्तविक जमा कार्य पर वसूला गया व्यय ।

[2] केवल 231 प्रखण्ड राजस्व देने वाले हैं।

अधिशाषी अभियन्ता (अ.अ.)/खण्डीय अधिकारी) होते हैं प्रत्येक अधिशाषी अभियन्ता की सहायता हेतु उपराजस्व अधिकारी (उ.रा.अ.) होते हैं जिनकी सहायता हेतु जिलेदार, अमीन (सींच पर्यवेक्षक) और पतरौल (सींचपाल) होते हैं।

5.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

इस उद्देश्य से यह समीक्षा की गयी कि :

- यह सुनिश्चित किया जा सके कि सृजित सिंचाई क्षमता एवं जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था थी।
- जल मूल्य के आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली की कार्य क्षमता एवं प्रभाव कारिता का आकलन किया जा सके।
- यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या विभाग के अन्दर राजकीय राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण एवं अपवंचन को रोकने हेतु कोई प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

5.2.4 लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

जुलाई 2006 से मार्च 2007 के मध्य एक समीक्षा सम्पादित की गयी जिसमें वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक की अवधि के 24 जिलों के 37 प्रखण्डों (राज्य के कुल जिलों का एक तिहाई) एवं प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय के अभिलेखों की जांच की गयी। 37 प्रखण्डों में नमूना जांच के लिये पाँच ऐसे प्रखण्डों को चुना गया जहॉ से वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु पानी की आपूर्ति की जा रही थी और शेष प्रखण्डों का चयन यादृच्छिक था।

5.2.5 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग सिंचाई विभाग को धन्यवाद देते है। आलेख समीक्षा प्रतिवेदन, विभाग और शासन को जून 2007 में अग्रसारित किया गया और अगस्त 2007 में लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। शासन की ओर से विशेष सचिव (सिंचाई) तथा विभाग की ओर से प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) ने प्रतिनिधित्व किया। शासन और विभाग के विचारों को प्रासंगिक प्रस्तरों में समाहित किया गया है।

5.2.6 राजस्व का रूझान

राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान को तैयार करने हेतु सिंचाई मैनुअल के प्रस्तर 216 सपठित बजट मैनुअल के प्रावधानों, के अनुसार प्रत्येक खण्डीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सिंचाई हेतु दिये गये पानी के मूल्य एवं विभिन्न राजस्व का एक सामान्य राजस्व का आकलन तैयार करे। यह बजट अनुमान बनाने का आधार होगा और आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

2005–06 को समाप्त हुए पॉच वर्षों के लिये बजट अनुमान एवं सिंचाई विभाग द्वारा वसूल किये गये राजस्व के ऑकड़े नीचे तालिका में दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता की प्रतिशतता बृद्वि (+) कमी (–)
2001–02	96.54	133.49	(+) 38.27
2002–03	101.04	102.23	(+) 1.78
2003–04	207.63	154.62	(–) 25.53
2004–05	106.07	189.12	(+) 78.30
2005–06	125.34	198.71	(+) 58.54
योग	**636.62**	**778.17**	

वर्ष 2003–04 को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष जो बजट अनुमान निर्धारित किये गये वह पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम थे। 10 इकाइयों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु प्रखण्डों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों को नहीं भेजा गया था। यह इंगित करता है कि बजट अनुमानों को बजट मैनुअल तथा सिंचाई मैनुअल के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं बनाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को यह आदेश निर्गत किये जा रहे हैं कि सिंचाई मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे परन्तु विभाग इस बात को स्पष्ट नही कर सका की प्रखण्डों से ऑकड़ों को प्राप्त किये बिना लक्ष्य को किस प्रकार निर्धारित किया गया। शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त–2007)।

लेखा परीक्षा की उपलब्धियॉ

व्यवस्था में कमियां

5.2.7 सिंचाई क्षमता एवं सिंचाई का लक्ष्य

5.2.7.1 सृजित सिंचाई क्षमता का कम उपयोग किया जाना

सिंचाई क्षमता में पानी एक अति आवश्यक अवयय है। पानी की उपलब्धता सीमित है। जल संसाधनों की कमी के परिप्रेक्ष्य में और पानी के उपयोग में मितव्ययिता बरतने हेतु मण्डलीय स्तर पर एक विस्तृत पानी के लेखों को बनाया जाना अपेक्षित है। मार्गस्थ जल हानि के पश्चात् शेष जल की मात्रा का उपयोग, सिंचाई अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया जाता है। **शासन ने सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम प्रयोग के अनुश्रवण हेतु किसी तन्त्र को निर्धारित नहीं किया है।**

नीचे दी हुई तालिका[2] में 2005–06 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षो के सिंचाई हेतु उपलब्ध कृषि हेतु भूमि, उपलब्ध सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त वास्तविक क्षमता के ऑकड़े दिये गये हैं :

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	कृषि योग्य भूमि	उपलब्ध सिंचाई क्षमता	2001–02 के संदर्भ में क्षमता में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत	क्षमता का वास्तविक उपयोग	क्षमता जिसका उपयोग नहीं किया गया	सिंचाई क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
2001–02	11,429	7,949.45	—	4,285.00	3,664.45	53.90
2002–03	11,429	8,423.38	5.96	4,271.36	4,152.02	50.71
2003–04	11,429	8,500.37	6.93	4,658.17	3,842.20	54.80
2004–05	11,429	8,628.47	8.54	4,441.81	4,186.66	51.48
2005–06	11,429	8,711.26	9.58	4,428.06	4,283.20	50.83
योग		**42,212.93**		**22,084.40**	**20,128.53**	

2001–02 से 2005–06 के दौरान कुल 42212.93 हजार हेक्टेयर की उपलब्ध सिंचाई क्षमता में से केवल 22084.40 हजार हेक्टेयर क्षमता का ही उपयोग किया गया तथा

[1] मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ, अनूपशहर खण्ड गंगा नहर मेरठ, ऊपरी खण्ड पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर, सिरशी बांध खण्ड मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर खण्ड गंगानहर मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर नहर खण्ड मिर्जापुर, शारदा सहायक नहर खण्ड पीलीभीत, शारदा नहर खण्ड शाहजहाँपुर, बन्धी खण्ड राबर्टस गंज, सोनभद्र, लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर, लखनऊ ।

[2] कृषि योग्य भूमि से सम्बन्धित आकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। तालिका के शेष आकड़े सम्बन्धित वर्षो के विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन से लिये गये हैं।

शेष 20128.53 हजार हेक्टेयर का उपयोग नहीं किया गया। क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 50.71 से 54.80 के बीच रहा। यद्यपि 2002–03 से सिंचाई क्षमता का रूझान निरंतर बढ़ता ही रहा फिर भी सिंचाई क्षमता का उपयोग अधिकतम 55 प्रतिशत के नीचे ही रहा। **पानी की आपूर्ति के अनुश्रवण में कमी के कारण विभाग द्वारा सम्पूर्ण सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके कारण न केवल सिंचाई से प्राप्तियों में कमी हुई बल्कि कृषकों को भी रबी एवं खरीफ फसल के लिये पर्याप्त पानी नहीं दिया जा सका जैसा अनुवर्ती प्रस्तर में उल्लिखित है।**

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया (अगस्त–2007) कि धन की अनुपलब्धता, रिसाव, पुरानी नहर प्रणाली एवं पानी आदि की कमी के कारण सिंचाई क्षमता का शत् प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा सका। पानी की कमी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऊपर की तालिका में सिंचाई क्षमता के जो ऑकड़े दिये गये हैं उन्हें प्रशासनिक प्रतिवेदनों से लिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग स्वीकार करता है कि पानी की उपलब्धता के आधार पर उस सीमा तक उसके पास सिंचाई क्षमता थी।

5.2.7.2 सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह देखा गया कि यद्यपि 2001–02 से 2005–06 के दौरान सिंचाई हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये वह कुल उपलब्ध सिंचाई क्षमता से बहुत कम थे फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रही है जैसा कि नीचे वर्णित है :

(हजार एकड़ में)

वर्ष	खरीफ		रबी		योग			कमी की प्रतिशतता
	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	अन्तर	
2001–02	2,632.90	2,012.52	2,979.48	2,272.49	5,612.38	4,285.01	1,327.37	(–) 23.65
2002–03	2,635.90	1,962.48	3,075.50	2,308.85	5,711.40	4,271.33	1,440.07	(–) 25.21
2003–04	2,630.00	2,100.90	3,080.00	2,557.27	5,710.00	4,658.17	1,051.83	(–) 18.42
2004–05	2,500.00	2,113.86	2,800.00	2,327.95	5,300.00	4,441.81	858.19	(–) 16.19
2005–06	2,500.00	2,095.39	2,870.00	2,332.67	5,370.00	4,428.06	941.94	(–) 17.54
योग	**12,898.80**	**10,285.15**	**14,804.98**	**11,799.23**	**27,703.78**	**22,084.38**	**5,619.40**	

सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण 5619.40 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई न हो सकी। कमी की प्रतिशतता 16.19 और 25.21 के बीच रही। इस प्रकार न केवल कृषक सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहे वरन शासन को भी 62.94 करोड़[1] रुपये के राजस्व (जल मूल्य) की क्षति हुई।

सरकार को चाहिये कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये ऐसे समुचित उपाय करे जिससे सृजित सिंचाई क्षमता का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

5.2.8 अधिक मार्गस्थ जल हानि

नहरों से जलापूर्ति के दौरान रिसाव के रूप में जल हानि अपरिहार्य होती है। हानि के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक खण्ड के सन्दर्भ में मार्गस्थ जल हानि का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। **लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी की प्राप्ति के अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं थी।**

रायबरेली खण्ड (दक्षिण), शारदा नहर, रायबरेली के अभिलेखों की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 19.99 लाख क्यूसिक पानी

[1] 112 रुपये प्रति हेक्टेयर औसत पानी की दर से गणना की गयी है।

सिंचाई हेतु उपलब्ध था। 35 प्रतिशत की अनुमन्य मार्गस्थ जल हानि के पश्चात, 12.99 लाख क्यूसेक पानी सिचाई हेतु उपयोग किया जाना था परन्तु विभाग द्वारा केवल 9.04 लाख क्यूसेक पानी का उपयोग किया गया। इस प्रकार शेष 3.95 लाख क्यूसेक पानी को भी मार्गस्थ जल हानि में सम्मिलित कर लिया गया। **पानी की प्राप्तियों के अनुश्रवण में कमी के कारण शासन को 3.12 करोड़[1] रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।**

मामले को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (अगस्त–2007) कि अनुमन्य जल हानि से अधिक जल हानि का मुख्य कारण अवैध रूप से नहरों की कटान है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नहरों की अवैध कटान को रोकने का दायित्व स्वयं विभाग का है।

सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग एवं नहरों के अवैध कटान को रोकने के लिये सरकार को चाहिये कि पानी के अनुश्रवण हेतु एक प्रकोष्ठ गठित किया जाय।

5.2.9 पानी के मूल्य का कम आरोपण

सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को कृषि कार्य हेतु पानी की आपूर्ति करना है। वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु भी पानी की आपूर्ति की जाती है जिसके लिये पानी की दरें कृषि हेतु दिये जाने वाले पानी की दरों से अधिक होती है। **लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि विभाग ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु दिये जाने वाले पानी की मात्रा को मापने की कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की है।**

दिनॉक 16 अप्रैल 1975 के शासनादेश के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु जलापूर्ति के लिये एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् उसका नवीनीकरण किया जायेगा। सिंचाई विभाग वाणिज्यिक उद्देश्य से की गयी जलापूर्ति के लिये जल मूल्य/रायल्टी का निर्धारण निर्धारित दरों पर करके उसकी वसूली करता है। मई 1998 से वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाने वाली जलापूर्ति हेतु जल मूल्य की दर 1.50 लाख रुपये प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

दो प्रखण्डों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि दो विद्युत सयंत्रों–पनकी पावर हाउस, कानपुर एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन0टी0पी0सी0) कासिमपुर को पानी की आपूर्ति की जा रही थी यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया था। अधिशाषी अभियन्ता कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर के कार्यालय में विद्युत गृह से सम्बन्धित अभिलेखों के अनुसार पनकी पावर हाउस को 150 क्यूसेक पानी प्रति वर्ष दिया गया। जून 1976 में प्रखण्ड एवं एन0टी0पी0सी0 के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त जांच की गयी थी और यह निर्धारित किया गया था कि एन0टी0पी0सी0 को 106 क्यूसेक पानी प्रति वर्ष दिया जा रहा था। उसके पश्चात पनकी पावर हाउस अथवा एन0टी0पी0सी0 कासिमपुर के सम्बन्ध में, यह सुनिश्चित करने के लिये कि आगे के वर्षों में पानी की आपूर्ति की वास्तविक मात्रा क्या होगी कोई संयुक्त जांच नहीं की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान दोनों विद्युत परियोजनाओं को न्यूनतम 1280 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की गई। इस पानी की आपूर्ति के लिये 19.20 करोड़ रुपये का बिल बनाया जाना था परन्तु विभाग ने केवल 42 लाख रुपये का ही बिल बनाया। विभाग ने पानी की आपूर्ति से

[1] एक क्यूसेक पानी के लिये 79 रुपये औसत राजस्व के आधार पर गणना की गयी है।

[2] कानपुर खण्ड निचली गंगा नहर कानपुर और अलीगढ़ गंगा नहर अलीगढ़ ।

सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं रखा और पानी की वास्तविक आपूर्ति के स्थान पर उपभोग करने वाली इकाइयों द्वारा तैयार किये गये उपभोग विवरण के आधार पर बिल बनाया। इन विवरणों में जो पानी का उपभोग वर्णित था उसे उपभोग करने वाली इकाइयों ने विभिन्न किया कलापों में प्रयुक्त पानी की मात्रा के उपभोग को अपने सूत्रों (फार्मूला) के आधार पर बनाया था। प्रकिया में पानी बरबाद भी होता है, पुनः उसका प्रयोग किया जाता है अतः उपभोग की गई पानी की मात्रा सदैव आपूर्ति की गई पानी की मात्रा से कम होगी। **पानी की वास्तविक आपूर्ति की मात्रा एवं उसके आधार पर बिल जारी करने के सम्बन्ध में कोई भी लेखा जोखा रखने की व्यवस्था नहीं थी अतः 18.78 करोड़ रुपये के जल मूल्य का कम आरोपण हुआ।**

सरकार को इस पर विचार करना चाहिये की उपभोग करने वाली इकाइयों के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने के पश्चात ही वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु पानी की आपूर्ति की जाये तथा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे दिये जाने वाले पानी की मात्रा की माप करके और उससे सम्बन्धित लेखों को रखा जाए जिससे सही धनराशि के बिल जारी किये जा सकें।

5.2.10 'प्लान्टेशन रजिस्टर' का रख रखाव न किया जाना

सिंचाई विभाग की जमीन पर विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं। ऐसे मामलों में जहां पेड़ गिरे हुए पाये जाते हैं अथवा सूख जाते हैं, उन पेड़ों की बिकी से प्राप्त धनराशि को राजकीय लेखों में जमा कर दिया जाता है।

'इरिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स' के पैरा 328 (9) के अनुसार प्रारूप संख्या–84–एच' में खड़े पेड़ों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाली एक पंजिका का रख रखाव किया जायेगा और इसके आधार पर प्लान्टेशन रजिस्टर में प्रविष्टियां की जायेंगी। **सरकार द्वारा खड़े पेड़ों के नियत कालिक भौतिक सत्यापन के लिये कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है।**

12 खण्डों[1] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह देखा गया कि वर्ष 2001–02 सें 2005–06 के दौरान पेड़ों की वास्तविक संख्या प्रदर्शित करने वाले प्लान्टेशन रजिस्टर का उचित प्रकार से रख रखाव ही नहीं किया गया। **जहॉ इसे रखा जा रहा था वहां भौतिक सत्यापन के अभाव में विभाग इस तथ्य से अवगत ही नहीं था कि वास्तव में इन पेड़ों का अस्तित्व है।** अतः अवैध रूप से काटे जाने वाले/गिरने वाले पेड़ों से होने वाली राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया (अगस्त–2007) कि सिंचाई मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार प्लान्टेशन रजिस्टर के रख–रखाव हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश दे दिये गये हैं।

सरकार को चाहिये कि अवैध रूप से पेड़ों की कटान और गिरे हुए पेड़ों की चोरी को रोकने के लिये पेड़ों के नियत कालिक भौतिक सत्यापन की व्यवस्था को लागू करें।

5.2.11 पानी की दरों का पुनरीक्षण

नार्दर्न इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट, 1873 के अनुसार राज्य सरकार, जब और जैसी आवश्यकता हो, पानी के मूल्य को निर्धारित करने अथवा पुनरीक्षित करने के लिये अधिकृत है। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के कार्य बजट (परफार्मेन्स बजट) के अनुसार वार्षिक मरम्मत, निदेशन एवं प्रशासन, विविध अप्रत्यक्ष व्यय (वर्किंग

[1] लखनऊ खण्ड–2 शारदा नहर लखनऊ, शारदा सहायक नहर खण्ड पीलीभीत, बेतवा नहर खण्ड झांसी, शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर, रायबरेली खण्ड (दक्षिणी) शारदा नहर, सिंचाई खण्ड दिवियापुर, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, बाराबंकी खण्ड बाराबंकी, बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर मेरठ खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फर नगर खण्ड गंगा नहर, निचला (लोअर) खण्ड पूर्वी यमुना नहर मुजफ्फर नगर।

एक्सपेन्सेज) और ब्याज पर होने वाले व्यय को जल मूल्य से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों से करना चाहिये।

प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अन्तर को कम करने के लिये यथोचित समय के अन्तराल के बाद पानी की दरों को पुनरीक्षित कर देना चाहिये। जल मूल्य का सही निर्धारण एवं समय से पुनरीक्षण राजस्व प्राप्तियों में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। **न तो सिंचाई मैनुअल में और न ही किसी शासनादेश में यह वर्णित है कि कितनी अवधि के बाद जल मूल्य का पुनरीक्षण किया जायेगा।** यह देखा गया कि पिछली बार सन् 1994 में सिंचाई हेतु पानी की दरों का पुनरीक्षण किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया कि पानी के मूल्यों को पुनरीक्षित करने के लिये शासन की स्वीकृत हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया है (अक्टूबर–2007)।

5.2.12 आन्तरिक लेखा परीक्षा

एक संगठन का आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (आ.ले.प्र.) इसके आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक अतिआवश्यक भाग होता है और आम तौर पर यह सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है क्योंकि इससे संगठन स्वयं आश्वस्त होता है कि निर्धारित प्रक्रिया उचित रूप से और भली भाँति अपनायी जा रही है। जनवरी 2001 में एक शासनादेश जारी किया गया कि प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में वित्त नियंत्रक के अन्तर्गत एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। **अग्रेतर यह देखा गया कि शासनादेश होने के पश्चात भी प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में मार्च 2007 तक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन नही किया गया। आन्तरिक लेखा परीक्षा के अभाव में विभाग व्यवस्था के उन क्षेत्रों से अनभिज्ञ रहा जिनके क्रिया कलापों में त्रुटि थी और उनको दूर करने के लिये उसे कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने का अवसर नहीं मिला।**

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन हो और नियमित रूप से विभाग की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित की जाए।

अनुपालन सम्बन्धी कमियाँ

5.2.13 पड़ताल में कमी

इरिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के पैरा 313 के प्रावधानों के अर्न्तगत सिंचाई प्रखण्डों के अमीनों[1] के द्वारा सिंचित क्षेत्र की माप करके पानी के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार माप की विश्वसनीयता विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माप की जांच पर आधारित होती है।

अग्रेतर, इरिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के पैरा 323 के अर्न्तगत विभाग द्वारा विभिन्न अधिकारियों/जिलेदारों द्वारा की जाने वाली पड़ताल[2] के मानक निर्धारित किये गये हैं। जिलेदारों द्वारा प्रत्येक फसल[3] में कम से कम प्रत्येक पड़ताल बीट में एक गॉव की पूरी जॉच की जायेगी और यदि खण्डीय अधिकारी आदेश देता है तो उसके साथ साथ दूसरे गांव की जॉच की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अमीनों के द्वारा कोई अनियमिततायें नहीं बरती जा रही हैं, वह उत्तरदायी होगा।

रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 2001–02 से 2005–06 के दौरान, 20 प्रतिशत मार्गस्थ जल हानि प्रदान करने के पश्चात 6.06 लाख हेक्टेयर भूमि को सीचनें हेतु 10.37 लाख क्यूसेक पानी

---

[1] सिंचित क्षेत्र की माप करके मांग विवरण (जमाबंदी) बनाते है ।

[2] सिंचित भूमि की जांच ।

[3] क्राप (फसल)।

उपलब्ध था (2003–04 के दौरान पानी की खपत के आधार पर) परन्तु पानी की उपरोक्त मात्रा से केवल 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई की गई जैसा कि नीचे दिया गया है:

वर्ष	20 प्रतिशत हानि के पश्चात पानी की उपलब्धता (क्यूसेक में)	सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
2001–02	2,44,540.80	1,00,460
2002–03	2,07,049.60	90,079
2003–04	1,71,986.40	1,00,253
2004–05	1,94,843.20	99,325
2005–06	2,18,280.80	99,991
योग	**10,36,700.80**	**4,90,108**

यह देखा गया कि 2001–02 से 2005–06 के दौरान जिलेदारों को जो सिंचित क्षेत्र की जॉच करने के लिये क्षेत्र आवंटित किये गये थे, उसकी पूरी जॉच नहीं की गयी। पड़ताल में 31 और 75 प्रतिशत के बीच कमी रही। स्पष्ट है कि पड़ताल में कमी के कारण 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के रूप में नहीं लिया गया और शासन को 2.11 करोड़ रूपये[1] के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त–2007) कि 2001–02 से 2005–06 के दौरान सिंचित भूमि की जांच में कमी रही परन्तु उपलब्ध पानी की मात्रा से सिंचाई के औसत मानक से ज्यादा सिंचाई हुई। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि पड़ताल की कमी ने निश्चित रूप से वास्तविक सिंचित भूमि को लेखों में लेने से प्रभावित किया।

5.2.14 'जमा निर्माण कार्य' पर प्रतिशतता प्रभार को प्रभारित न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V एवं VI के प्रावधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 14 प्रतिशत की दर से और सिंचाई विभाग द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से राज्य के वाणिज्यिक विभागों एवं स्थानीय निकायों की ओर से कराये गये जमा कार्य की वास्तविक लागत पर प्रतिशतता प्रभार प्रभारित किया जायेगा एवं शासकीय लेखों में मासिक वार जमा किया जायेगा।

हेड वर्क्स प्रखण्ड, आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनवरी 2003 से मई 2005 के दौरान स्थानीय निकायों की ओर से (1.92 करोड़ रुपये) और वाणिज्यिक इकाइयों की ओर से (7.54 करोड रुपये) कुल 9.46 करोड रुपये के जमा निर्माण कार्य कराये गये जिस पर 1.18 करोड़ रुपये के प्रतिशतता प्रभार को प्रभारित किया जाना था परन्तु उसे प्रभारित नहीं किया गया।

5.2.15 राजस्व का पुनर्मिलान/जमा किया जाना

5.2.15.1 उचित लेखा शीर्ष में राजस्व का जमा न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के पैरा 711 में प्रावधान है कि राज्य की ओर से प्राप्त की गई विभिन्न प्राप्तियां जैसे – लकड़ी/घास, मछली की बिक्री तथा निविदा शुल्क इत्यादि की बिक्री से प्राप्त धनराशि को अविलम्ब कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

[1] एक हेक्टेयर से प्राप्त 182 रुपये राजस्व के आधार पर गणना की गयी है ।

18 खण्डों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 1975 से 2005 तक की अवधि की 85.48 लाख रुपये की विभिन्न प्राप्तियॉ जमा रजिस्टर के "8343–सिविल जमा" लेखा शीर्ष में पड़ी हुई हैं जबकि इस धनराशि को सिंचाई विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिये था उपरोक्त धनराशि में से 17.02 लाख रुपये की राशि वर्ष 2001–02 से 2005–06 से सम्बन्धित है। 25 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उपरोक्त राशि को सही लेखा शीर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया (अगस्त 2007) कि मेरठ खण्ड गंगा नहर, सिंचाई खण्ड मुरादाबाद, सिंचाई खण्ड I एवं II महराजगंज के मामलों में विभिन्न प्राप्तियों को सिंचाई के प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया जा रहा है और ऐसी प्राप्तियों को उचित शीर्ष में जमा करने हेतु एक सामान्य आदेश निर्गत कर दिया गया है।

5.2.15.2 राजस्व प्राप्तियों का पुनर्मिलान/सत्यापन न किया जाना

इरिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के पैरा 320 (1) के अनुसार सिंचाई विभाग के खण्डीय अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जल मूल्य की वसूली कलेक्टर द्वारा भू–राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी। सिंचाई विभाग के राजस्व की नियमित वसूली को सुनिश्चित करने का कमिश्नर का वही दायित्व होगा जैसा कि भू–राजस्व के सम्बन्ध में। वसूली हो जाने के पश्चात तौजी विवरण[1] बनाया जाता है और सम्बन्धित सिंचाई खण्ड को भेज दिया जाता है।

रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली एवं मिर्जापुर नहर खण्ड, मिर्जापुर के अभिलेखों के नमूना जॉच में यह पाया गया कि न तो राजस्व विभाग द्वारा प्रखण्डों को तौजी विवरण[1] भेजे गये और न ही सिंचाई विभाग ने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जिससे वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक की अवधि से सम्बन्धित 12.55 करोड़ रुपये जल मूल्य की वसूली की जॉच लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। आगे यह भी देखा गया कि सिंचाई खण्ड–I महराजगंज तथा रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली द्वारा वर्ष 2005–06 के जमा का पुनर्मिलान/सत्यापन इन खण्डों द्वारा शासकीय कोषागार के अभिलेखों से नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने बताया (अगस्त 2007) कि जिलाधिकारी से तौजी विवरण भेजने का अनुरोध किया गया है और सिंचाई खण्ड–1 महराजगंज और रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के जमा का आवश्यक सत्यापन कर लिया गया है।

---

[1] शारदा सागर खण्ड पीलीभीत, अफजलगढ सिंचाई खण्ड धामपुर, हेड वर्क्स शारदा नहर बरेली, सिंचाई खण्ड मुरादाबाद, बाराबंकी खण्ड शारदा नहर बाराबंकी, सिंचाई खण्ड–1 महराजगंज, अनूपशहर खण्ड गंगा नहर मेरठ, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर, मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड बुलन्दशहर, लखनऊ खण्ड–2 शारदानहर लखनऊ, लघु सिंचाई खण्ड सहारनपुर सिचाई खण्ड–2 महराजगंज, रूहेलखण्ड नहर खण्ड बरेली, सिंचाई निर्माण खण्ड राबर्ट्स गंज, सिंचाई खण्ड चुनार मिर्जापुर, शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर।

[1] वसूली से सम्बन्धित विस्तृत विवरण ।

5.2.16 निष्कर्ष

एक अनुश्रवण तंत्र के अभाव में विभाग बहुत अधिक सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। इसके कारण विभाग को न केवल 62.94 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई बल्कि कृषकों को रबी एवं खरीफ फसलों के लिये समुचित पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी । उपभोग करने वाली इकाइयों से किसी अनुबंध के निष्पादन के अभाव में भी वाणिज्यिक प्रयोग हेतु पानी की आपूर्ति की जा रही है और पानी की वास्तविक मात्रा पर बिल नहीं बनाये जा रहे हैं जिसकी वजह से केवल दो मामलों में 18.78 करोड़ की हानि हुई। प्रायोगिक तौर पर संग्रहीत राजस्व के आंकड़ों के पुनर्मिलान की व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। विभाग का आन्तरिक नियंत्रण तंत्र इतना कमजोर है जिसकी कोई सीमा नहीं क्योंकि एक शासनादेश के पश्चात् भी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन तक नहीं किया गया।

5.2.17 संस्तुतियों का सारांश

सरकार विचार कर सकती है :

- निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग पर प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु समुचित कदम उठाये जाएं।
- सिंचाई क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग हो इसके लिये नहरों की अवैध कटान को रोकने के लिये एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया जाये जो पानी के उपयोग पर अनुश्रवण करे।
- उपभोग करने वाली इकाईयों से अनुबन्ध निष्पादित करने के पश्चात ही वाणिज्यिक उद्‌देश्य के लिये पानी की आपूर्ति की जाए। पानी की आपूर्ति में माप की व्यवस्था हो तथा दिये जाने वाले पानी का लेखा जोखा रखा जाए जिससे सही धनराशि का बिल बनाया जा सके।
- पेड़ों की अवैध कटान एवं गिरे हुए पेड़ों की चोरी को रोकने हेतु खड़े पेड़ों के नियत कालिक भौतिक सत्यापन की एक व्यवस्था प्रारम्भ की जाए।
- प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन सुनिश्चित किया जाए और विभाग की नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षा करायी जाए।

श्रम विभाग

5.3 प्रतिपूरक भवन किराये की वसूली न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग II से IV के प्रावधानों के प्रस्तर 18 क के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारियों अथवा उनके परिवार जिनको सरकारी आवास प्रदान किये गये हो, को स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति, सेवा समाप्ति या मृत्यु के तीन माह के अन्दर आवंटित आवास खाली कर देना चाहिये। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात, अध्यासियों को अनधिकृत माना जाना चाहिये और ऐसे अध्यासियों से प्रतिपूरक मकान किराया वसूल किया जाना चाहिये। शासन ने टाइप I, II, व III आवासों के अध्यासियों से, रिहायसी क्षेत्र फल का 20 रूपये प्रति वर्ग मी० व अन्य आवासों के लिये 25 रूपये प्रति वर्ग मी० प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक किराया वसूल करने हेतु (जनवरी 1992 प्रभावी 1988 से) आदेश जारी किया था। इन दरों को (अगस्त 1998) संशोधित कर क्रमशः 40 रूपये व 50 रूपये कर दिया गया। चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सी एम एस) तथा निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई एस) इन आवासों को अवैध अध्यासियों से खाली कराने तथा प्रतिपूरक किराये की वसूली किये जाने हेतु उत्तरदायी थे।

निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई एस) कानपुर एवं ई एस आई एस चिकित्सालयों[1] के छः चिकित्सा अधीक्षकों (एम एस) /सी एम एस के कार्यालयों के अभिलेखों की फरवरी 2006 से जून 2006 के मध्य संवीक्षा में पाया गया कि जनवरी 1986 से मई 2006 तक सेवा निवृत्ति/स्थानान्तरण/मृत्यु के पश्चात भी कर्मचारियों/अधिकारियों का सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा बना रहा । ई एस आई एस प्राधिकारी आवास को खाली कराने तथा प्रतिपूरक किराया वसूल करने में असफल रहे। 31 अनधिकृत अध्यासियों पर 93.70 लाख रूपये प्रतिपूरक किराये के रूप में देय था जिसमें से 44.16 लाख रूपये जनवरी 2002 से मई 2006 की अवधि के मध्य का था।

नवम्बर 2006 में वार्ता के दौरान, शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुये कहा कि ई एस आइ एस प्राधिकारियों द्वारा चार आवास खाली करा लिये गये तथा शेष 27 आवासों को खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रतिपूरक किराये की वसूली हेतु यह कहा गया कि सेवा निवृत्त अधिकारियों से प्रतिपूरक किराये की वसूली उनकी सहमति पर सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी से करने की कार्यवाही की जायेगी और ऐसे अधिकारी जिनका स्थानान्तरण अन्य विभागों में हो गया है के मामलों में उनके विभागाध्यक्षों से यह निवेदन किया जा रहा है कि धनराशि की वसूली उनके वेतन चिठ्ठों से कर लें।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ग्रेच्युटी से सरकारी देयों की वसूली हेतु सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सहमति लेना आवश्यक नहीं हैं । पुनः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2007)।

लोक निर्माण विभाग

5.4 अनधिकृत अध्यासियों से किराये के बदले में प्रतिकर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनॉक 18 अप्रैल 1995 के अनुसार लोक निर्माण विभाग (लो०नि०वि०) के विश्राम गृह में ठहरने वाले ऐसे आगन्तुकों के लिए जो एक सप्ताह से अधिक कक्ष में ठहरते हैं, को प्रथम 30 दिनों के लिए किराये के बदले

[1] ई एस आई एस चिकित्सालय पाण्डुनगर, सर्वोदय नगर, जाजमऊ, किदवई नगर, आगरा और नैनी ।

में प्रतिकर एक कक्ष के लिये 35 रुपये प्रतिदिन तथा उसके पश्चात् 50 रुपये प्रतिदिन देना होगा। दिनॉक 17 अक्टूबर 1998 से उपरोक्त दर संशोधित कर 100 रुपये प्रतिदिन प्रति कक्ष निर्धारित किया गया है।

लो0 नि0 वि0 मिर्जापुर के विश्रामगृह के अभिलेखों की मार्च 2006 में नमूना जॉच में पाया गया कि आयुक्त विन्ध्याचल मंडल, उप महानिरीक्षक पुलिस और संयुक्त मजिस्ट्रेट ने 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि में 3652 दिन विश्रामगृह को विभिन्न अवधियों के लिये अधिकार में लिया जिसके लिये अध्यासियों द्वारा प्रतिकर के रूप में 10.10 लाख रुपये अदा किया जाना चाहिए था । यद्यपि धनराशि अदा नहीं की गयी, फिर भी विभाग द्वारा न तो प्रतिकर का निर्धारण किया गया ओर न ही अध्यासियों को 10.10 लाख रुपये की वसूली हेतु कोई नोटिस जारी की गयी।

मामला विभाग और शासन को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2007)। चूंकि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानदंड स्थापित करेंगे इसलिए शासन, उक्त राशि की वसूली के अतिरिक्त, भुगतान में चूक हेतु अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने पर भी विचार करे।

लखनऊ
दिनांक : 3 जनवरी 2008

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली
दिनांक : 4 जनवरी 2008

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक